ISSN 2277-2847

₹30

वर्ष 14, अंक-157

अप्रैल 2025

जन मीडिया

हमारा समाज, हमारा शोध

बस्तर पत्रकारिता-2

- सरकारी दावे और मीडिया के बीच बस्तर
- बस्तर संभाग में संचार नेटवर्क की मौजूदगी
- बस्तर में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां
- हमले की शिकायत दर्ज कराना भी आसान नहीं
- बस्तर पर आशुतोष भारद्वाज और मंकू जी
- बस्तर की खबर को बाहर लाना बहुत कठिन काम है

Subscribe to our journals for a better understanding of media and communication.

Term अवधि	For General Subscribers सामान्य लोगों के लिए	For Institutional संस्थान के लिए	For Students* छात्रों के लिए
1 Year (12 Copies)	₹360	₹750	₹300
2 Year (24 Copies)	₹700	₹1500	₹500
5 Year (60 Copies)	₹1500	₹3500	₹1200
Lifetime	₹5000	₹20000	

FOR REGD. SPEED POST			
1 Year	2 Year	5 Year	Lifetime
₹600	₹1100	₹2500	₹10000

New Subscription Scheme

Additional discounts on books for students

जन मीडिया mass media

Students must attach a copy of their valid I-card with the subscription form.

1. मीडिया स्टडीज ग्रुप के प्रकाशन के लिए चेक/ड्राफ्ट मीडिया स्टडीज ग्रुप (Media Studies Group) के नाम से भेज सकते हैं।
2. भुगतान सीधे मीडिया स्टडीज ग्रुप के खाता संख्या 21360100017400, बैंक ऑफ बड़ौदा, बादली शाखा, दिल्ली, (IFS Code- BARB0TRDBAD) के खाते में कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद हमें मेल या मैसेज के जरिए सूचित कर दें।
3. ऑनलाइन खरीदने के लिए वेबसाइट www.medias-tudiesgroup.org.in में Qr code के माध्यम से भुगतान करें।

संपर्क : सी–2 पीपलवाला मुहल्ला, बादली, दिल्ली–110042, E-mail.- msgroup.india@gmail.com

इससे भुगतान कर सकते हैं।

vpa : janme98684710@barodampay

SCAN TO PAY
WITH ANY BHIM UPI APP

Merchant Name : JAN MEDIA

इस अंक में

ISSN 2277-2847

संचार, माध्यम और पत्रकारिता की
पूर्व-समीक्षित मासिक पत्रिका

157

विश्लेषण.....4

■ सरकारी दावे और मीडिया के बीच बस्तर

-संजय पराते

अध्ययन.....7

■ बस्तर संभाग में संचार नेटवर्क की मौजूदगी

-डॉ. संजय कुमार शेखर

शोध संदर्भ.....11

■ बस्तर में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां

भाषण.....20

■ हमले की शिकायत दर्ज कराना भी आसान नहीं

-शालिनी गेरा

भाषण.....22

■ बस्तर पर आशुतोष भारद्वाज और मंकू जी

भाषण.....26

■ बस्तर की खबर को बाहर लाना बहुत कठिन काम है

-पुष्पा रोकड़े

जन मीडिया

संपादक
अनिल चमड़िया

सहायक संपादक
संजय कुमार 'बलौदिया'

संपादक मंडल (शोध पत्र)
जवरीमल्ल पारख, जसपाल सिंह सिधु, नारायण बारेठ, रजनीश, राशिद अली, मिथिलेश प्रियदर्शी

वेबसाइट प्रभारी
रविशंकर प्रसाद

प्रसार
मुकुल रंजन झा
(7982380923)
subscribe.journal@gmail.com

संपर्क
सी-2, पीपलवाला मोहल्ला, बादली एक्सटेंशन, दिल्ली—42
मो. : 9654325899

e-mail :
janmedia.editor@gmail.com

follow us :
facebook.com@JanMedia Journal@

Website
www.mediastudiesgroup.org.in

सरकारी दावे और मीडिया के बीच बस्तर

संजय पराते*

8 दिसंबर 2014[1] की 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार-जनवरी 2009 से मई 2014 के बीच 65 महीनों में बस्तर में केवल 139 नक्सलियों ने सर्मपण किया था, लेकिन जून नवम्बर 2014 के बीच 6 महीनों के 'कल्लूरी राज' (तत्कालीन डीजीपी एसआरपी कल्लूरी) में 377 आत्म समर्पण हो जाते हैं और इसमें भी नवम्बर 2014 में 155 आत्म समर्पण!

अखबार की छानबीन के अनुसार, इनमें से 270 लोगों का नक्सली के रूप में कोई पुलिस रिकॉर्ड ही नहीं था। इसलिए इनमें से किसी को पुनर्वास/मुआवजा भी नहीं मिला। लगभग 100 लोगों को 2000-5000 रुपयों तक की ही मदद मिली तथा केवल 10 को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी।

'इंडियन एक्सप्रेस' की इस रिपोर्ट का आज तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आधिकारिक खंडन नहीं हुआ है और इसलिए इस रिपोर्ट को सही माना जा सकता है। स्पष्ट है कि उक्त आत्म समर्पण में भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया था। इस प्रकार एक सामान्य नागरिक के भी नागरिक अधिकारों और उसके गरिमा से जीने के अधिकार को ही बड़े पैमाने पर कुचलकर कुछ लोगों की तकदीर चमकाने और वाहवाही लूटने का काम किया गया था।

मार्च 2016 में 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बस्तर का दौरा किया था। इसने बड़ी संख्या में वहां के पत्रकारों से बात की, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन पर पुलिस और नक्सलियों दोनों का दबाव रहता है, उनके फोन टेप किए जाते हैं और अघोषित रूप से निगरानी की जाती है।

प्रतिष्ठित अखबार 'देशबंधु' के संपादक (अब दिवंगत) ललित सुरजन ने टीम को बताया था कि अगर आप स्वतंत्र रूप से तथ्यों का विश्लेषण करना चाहें, तो वे सीधे-सीधे पूछते हैं कि आप सरकार के साथ हो या माओवादियों के?

बीबीसी के पत्रकार आलोक पुतुल ने जब एक खबर के लिए एसआरपी कल्लूरी का पक्ष जानना चाहा था, तो उन पर न सिर्फ पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग का आरोप लगाया गया था, बल्कि यह भी कहा गया था कि 'देशभक्त' मीडिया पुलिस के साथ है। इसके बाद उन्हें तुरंत वह इलाका छोड़ देने की धमकी दी गई थी। सभी जानते हैं कि यह 'देशभक्त मीडिया' ही आज 'गोदी मीडिया' में बदल गया है।

ये 8-10 साल पहले का बस्तर था। लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं, बल्कि बहुत कुछ बिगड़ा ही है। छत्तीसगढ़ के सुदूर बस्तर में नक्सलियों से निपटने और उनको कुचलने के नाम पर आदिवासियों के मानवाधिकारों को कुचलने और राज्य प्रायोजित हत्या व गिरफ्तारियों

का दौर जारी है।

सरकारी दावे के अनुसार, भाजपा राज के पहले आठ महीनों में 147 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं, 631 ने आत्म समर्पण किया है और 723 को गिरफ्तार किया गया है। इन आंकड़ों में कितने वास्तव में नक्सली हैं और कितने निर्दोष ग्रामीण, यह छानबीन का विषय है।

जब तक किसी मुठभेड़, आत्म समर्पण या गिरफ्तारी की वास्तविकता की खबर जंगल से छनकर, गोदी मीडिया के दुष्प्रचार को भेदकर जिला मुख्यालय या राजधानी तक पहुंचती है, इस बीच कई और घटनाएं होकर छानबीन की लाइन में खड़ी हो जाती है।

सरकारी दावे के अनुसार माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। सरकार बतौर सबूत उन आंकड़ों को पेश करती है, जो मुठभेड़ में मारे गए हैं, या जिन्होंने आत्म समर्पण कर दिया है, या जिनकी गिरफ्तारियां हुई है।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पिछले 25 सालों से सरकार आंकड़ों का यह खेल-खेल रही है। लेकिन इसके विपरीत हकीकत यही है कि बस्तर का बड़े पैमाने पर सशस्त्रीकरण हुआ है और आज हर 9 नागरिकों के सिर पर एक पैरा मिलिट्री जवान की बंदूक तनी हुई है।

बस्तर रेंज में हर 2-7 किमी. के बीच सुरक्षा बल का एक कैंप मौजूद है। कांग्रेस राज में वर्ष 2019-23 के बीच बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के 250 से ज्यादा कैंप स्थापित किए गए, तो भाजपा के पास भी आदिवासी गांवों को खुशहाल बनाने के लिए कैंप स्थापित करने की ही योजना है।

भाजपा के सत्ता में आने के एक साल के अंदर 'योजना' बनाकर गांवों में लगभग 50 कैंप स्थापित किए गए हैं और उसने इस योजना को बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया है- नियाद नेल्लानार (मेरा गांव खुशहाल) योजना! कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आदिवासियों को बुनियादी मानवीय सुविधाएं भले न दी हो, लेकिन उनकी खुशहाली के लिए कैंप जरूर दिए हैं। लेकिन आदिवासी है कि वे न तो भाजपा की खुशहाली को स्वीकार कर रहे हैं और न उन्होंने कांग्रेस की खुशहाली को स्वीकार किया, तो क्यों? इसलिए कि ये कैंप उन्हीं के उत्पीड़न के लिए उन्हीं को बर्बाद कर-के बनाए जा रहे है।

कांग्रेस-भाजपा राज में स्थापित इन कैंपों में एक भी कैंप ऐसा नहीं है, जो आदिवासियों को उनकी भूमि से खदेड़कर खड़ा नहीं किया गया हो; एक भी कैंप ऐसा नहीं है, जिसके लिए आदिवासियों की ग्रामसभा की सहमति ली गई हो; सुरक्षा बलों के साए में किए जा रहे सड़क निर्माणों में एक भी ऐसा निर्माण नहीं है, जिसके लिए आदिवासियों की सहमति ली गई हो।

इन निर्माणों में, और इसको सुनिश्चित करने के लिए हो रही मुठभेड़ों, किए जा रहे आत्म समर्पणों और गिरफ्तारियों में अफसरों, ठेकेदारों व नेताओं की सांठगांठ से कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की कहानी यह सब बताने के लिए काफी है। दिल्ली और रायपुर से चलकर बस्तर के जंगलों तक पहुंचते-पहुंचते हमारा संविधान और आदिवासियों को इससे मिलने वाली शक्तियां दम तोड़ देती है।

सरकारी दावे के अनुसार, जैसे-जैसे बस्तर में माओवाद या नक्सलवाद दम तोड़ रहा है, वैसे-वैसे बस्तर में सशस्त्रीकरण बढ़ता जा रहा है। अब भाजपा राज में अबूझमाड़ में सेना का युद्धाभ्यास रेंज बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 54000 हेक्टेयर (1.35 लाख एकड़) भूमि की आवश्यकता है। यह भूमि नारायणपुर जिले के कोहकमेटा तहसील की 13 ग्राम पंचायतों के 52 गांवों को विस्थापित कर हासिल की जाएगी। इस समय इन 52 गांवों की सम्मिलित आबादी लगभग 10000 हैं।

'देशद्रोही' करार दिए जाने का खतरा लेकर भी यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि सेना के लिए युद्धाभ्यास रेंज बनाने की इस परियोजना में बस्तर का कितना विकास समाया हुआ है? 52 गांवों का विस्थापन पेसा अधिनियम के अनुसार आदिवासियों की सहमति से किया जाएगा या फिर बंदूक की नोक पर?

साफ है कि माओवाद तो बहाना है, असली बात है बस्तर की प्राकृतिक संपदा को कॉरपोरेटों के हवाले करने की मुहिम के विरोध में उठने वाली आवाज को तुरंत शांत करना। हाल ही में जल, जंगल और जमीन को कॉरपोरेटों को सौंपने की मुहिम का विरोध कर रहे तथा पेसा और वनाधिकार कानून को लागू करने की मांग पर चलाए जा रहे आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले रघु मीडियामी की गिरफ्तारी ने फिर यह सवाल सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि क्या

बस्तर में लोकतांत्रिक अधिकार प्रतिबंधित हैं? इस गिरफ्तारी की मानवाधिकार संगठनों ने तीखी निंदा की है।

माओवादी संगठनों से जुड़ाव के आरोप में 24 साल के रघु को एनआईए ने 27 फरवरी को गिरफ्तार किया है। सुकमा जिले के सिलगेर गांव में आदिवासियों की जमीन छीनकर सीआरपीएफ कैंप स्थापित करने के विरोध में मई 2021 में स्थानीय आदिवासियों के एक विरोध प्रदर्शन में गोलियां चलाई गई थीं, इसमें एक गर्भस्थ शिशु सहित 5 लोगों की मौतें हुई थी। तब राज्य में कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार का रवैया भी आदिवासियों के प्रति ठीक वैसा ही था, जैसे पूर्ववर्ती भाजपा की रमन सिंह सरकार का।

रघु मीडियामी इसी सिलगेर आंदोलन से उभरा चेहरा है, जिन्होंने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर मूलवासी बचाओ मंच नाम का एक संगठन बनाया। इस संगठन के बैनर पर देखते ही देखते 30 से ज्यादा जगहों पर कांग्रेस सरकार की आदिवासी विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। बस्तर जैसे विरल आबादी वाले गांवों से औसतन एक लाख से ज्यादा आदिवासियों का दिन-रात के इन धरनों में जुटान हुआ था।

ये आदिवासी शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। ये आदिवासी लोकतंत्र की मुख्यधारा से अपने को जोड़ रहे थे। लेकिन तब की कांग्रेस की सरकार ने और अब की भाजपा सरकार ने इस आंदोलन और इसके नेताओं पर माओवादी का ठप्पा लगाने से परहेज नहीं किया, क्योंकि हर कीमत पर कॉरपोरेटों के हित साधने के लिए वे डटे रहे। यहां तक कि अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल से मिलने आ रहे आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल को भी बीच रास्ते में गिरफ्तार किया गया।

पिछले साल अक्टूबर में ही कांग्रेस सरकार ने मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध लगाया था। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया थाः 'यह संगठन 'माओवादी प्रभावित क्षेत्रों' में राज्य और केंद्र सरकार की पहलों का विरोध कर रहा है और सुरक्षा शिविरों की स्थापना का विरोध करके क्षेत्र में विकास परियोजनाओं में बाधा बन रहा है।' लेकिन इस संगठन के किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की बात नहीं कही गई थी।

यदि कोई आदिवासी समुदाय राज्य और केंद्र की किसी पहल का विरोध कर रहा है, तो क्या यह उसका लोकतांत्रिक और संविधानप्रदत्त अधिकार नहीं है? कोई परियोजना विकास परियोजना है या नहीं, इसे सरकार तय करेगी या इसका फैसला पेसा अधिनियम के तहत स्थानीय आदिवासी समुदाय अपनी ग्राम सभाओं के जरिए करेगा?

मूलवासी बचाओ मंच ठीक यही तो मांग कर रहा है कि पेसा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार आदिवासियों को दिया जाये। यह मांग किस तरह नाजायज है।

रघु मीडियामी की वकील शालिनी गेरा का कहना है कि बस्तर के जन आंदोलनों को कुचलने के लिए ही रघु की फर्जी केस में गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि जिन प्रतिबंधित 2000 रुपये के नोटों को रखने और प्रतिबंधित माओवादी संगठनों को धन वितरित करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है, संबंधित एफआईआर में भी उसका कोई जिक्र नहीं है।

*(*__लेखक__ अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं एवं इनका यह लेख जन मीडिया से पूर्व कई मीडिया मंचों पर प्रकाशित हुआ है।)* ■

संदर्भ

1. https://indianexpress.com/article/india/india-others/70-chhattisgarh-naxal-surrenders-are-neither-naxal-nor-surrenders/

बस्तर संभाग में संचार नेटवर्क की मौजूदगी

डॉ. संजय कुमार शेखर*

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का सामान्य परिचय

अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में बस्तर राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित एक अति-पिछड़ा आदिवासी बहुल जिला था, जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सात जिलों में विभाजित हो गया है। सातों जिलों से युक्त बस्तर संभाग के पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र की सीमाएं लगती है। अविभाजित बस्तर जिला और वर्तमान बस्तर संभाग का क्षेत्रफल 11439 वर्ग किलोमीटर है। पहले बस्तर रायपुर संभाग के अन्तर्गत आता था, लेकिन 1981 में इसे स्वतंत्र संभाग का दर्जा दे दिया गया। 1999 में इसे दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के रूप में विभाजित कर दिया गया। बाद में सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर को अलग जिला बना दिया गया। इस तरह बस्तर संभाग में सात जिले शामिल हो गये।

बस्तर की तीन-चौथाई आबादी आदिवासियों की है। इस प्रकार बस्तर मूलतः एक आदिवासी अंचल है। प्राचीन ब्रिटिश अधिकारियों ने बस्तर में तेईस जनजातियों तथा जातियों को सूचीबद्ध किया था। लेकिन पूरे बस्तर में अधिकांशतः मुरिया, माड़िया और हल्बा जनजाति है। इस मूल आदिवासी क्षेत्र का अस्सी प्रतिशत हिस्सा वनांचलों और पहाड़ियों से आच्छादित है। इसी संभाग में करीब साढ़े चार हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अबूझमाड़ जो पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ और माओवादियों के कब्जे में है। यह पूरी तरह से अबूझ पहाड़ियों और सघन वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। नारायणपुर जिले में स्थित इस इलाके का वन क्षेत्र आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के सघन वनों तक पहुंचता है। इन घने जंगलों में मुड़िया और मारिया आदिवासी रहते हैं। इस इलाके की महिलाएं आज भी एक ही कपड़ा पहनती है, जिसे कोस्ती कहा जाता है।

बस्तर प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से काफी संपन्न है। यहां के बैलाडीला की पहाड़ियों से सबसे बेहतरीन लोहा निकलता ही है, टीन का भी अकूत भंडार बस्तर में है। इसके अतिरिक्त विभिन्न तरह के औषधीय पौधे और वनोत्पाद की प्रचुरता भी बस्तर में है। लेकिन बस्तर की अधिकांश आबादी आज भी शिक्षा से वंचित और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में संप्रेषण के आधुनिक संसाधनों की मौजूदगी छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सभी सात जिलों के कोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र संचार के आधुनिक संसाधनों से करीब-करीब पूरी तरह से महरूम है। संभाग के कोर नक्सल प्रभावित इलाकों के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों में तो अभी तक संचार के सिग्नल तक नहीं पहुंचे है। अबूझमाड़ के करीब चार हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संचार सुविधाओं का पहुंचना तो दूर सरकार अभी तक इस इलाके का राजस्व सर्वे तक नहीं करा पाई है।

राजस्व सर्वे नहीं होने का आशय है कि सरकार के पास न तो पूरे अबूझमाड़ का कोई नक्शा है और न ही सरकार को यह पता है कि अबूझमाड़ में आखिर कहां क्या है?

संभाग के सातों जिलों में से सर्वाधिक नक्सल प्रभावित चार जिलों नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में मोबाइल कनेक्टिविटी की स्थिति को तालिका-1 में देखा जा सकता है।

उपरोक्त आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में संचार सुविधाओं से महरूम क्षेत्र और लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2013 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1110 के उत्तर में दिये गये आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। इस उत्तर में भारत सरकार द्वारा देश के सभी 28 राज्यों में मोबाइल नेटवर्क से रहित गांवों की स्थिति बताई गई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 की स्थिति में देश के कुल 56,397 गांव मोबाइल नेटवर्क से महरूम थे, जिसमें छत्तीसगढ़ 5460 गांवों के साथ दूसरे स्थान पर था। यानी छत्तीसगढ़ के 5460 गांव मोबाइल नेटवर्क से महरूम थे। पहले स्थान पर मोबाइल नेटवर्क से महरूम ओडिशा के 6734 गांव थे।

संप्रेषण के आधुनिक माध्यमों के उपयोग की बात करें तो बस्तर के आदिवासी अंचलों की स्थिति काफी निराशाजनक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बस्तर संभाग में कुल 6,56,413 परिवार निवासरत थे। इसमें ग्रामीण परिवारों की संख्या 5,56,896 और शहरी परिवारों की संख्या 90,517 थी। यानी बस्तर संभाग की कुल आबादी का करीब 85 प्रतिशत परिवार गांव में निवास करता है। लेकिन ग्रामीण आबादी द्वारा संचार के आधुनिक संसाधनों के उपभोग की स्थिति का अंदाजा तालिका-2 से आसानी से लगाया जा सकता है।

आंकड़ों से स्पष्ट है कि बस्तर की कुल आबादी की करीब पचासी प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचलों में निवास करती है लेकिन संप्रेषण की आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो बस्तर की महज 0.13 प्रतिशत आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। यहां कंप्यूटर जैसी सुविधा का उपयोग करने वाली आबादी महज 1.43 प्रतिशत है और लैंडलाइन फोन उपभोक्ता परिवारों की संख्या महज 0.56 प्रतिशत है। बस्तर में मोबाइल उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 9.61, मोबाइल और टेलीफोन दोनों का उपयोग करने वाले परिवार 0.53, टेलीविजन का उपयोग करने वाले परिवार 8.96 और रेडियो का उपयोग करने वाले परिवार 10.17 प्रतिशत है।

केवल संचार आधुनिक संसाधनों की अनुपलब्धता तक ही सीमित नहीं है। परंपरागत माध्यम से भी संप्रेषण की गुंजाइश सीमित है क्योंकि बस्तर संभाग के कोर नक्सल प्रभावित हजारों गांव आज भी पहुंच विहीन हैं। लिहाजा सरकार या सरकारी मशीनरी के साथ ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का संवाद करीब-करीब पूरी तरह से बाधित हैं।

तालिका-1 लोकसभा चुनाव-2014 के दौरान बस्तर के पोलिंग बूथ पर मोबाइल कनेक्टिविटी

जिला	कुल मतदान केन्द्र	मोबाइल कनेक्टिविटी युक्त पोलिंग बूथ	मोबाइल कनेक्टिविटी रहित पोलिंग बूथ
नारायणपुर	102	36	66
दंतेवाड़ा	266	148	118
बीजापुर	243	50	193
सुकमा	193	44	149
कुल	804	278	526

स्त्रोत:ceochhattisgarh.nic.in/pdf/communicationplan_narayanpur

बस्तर संभाग में माओवादी हिंसा और संप्रेषण का अन्तर्सम्बन्ध

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले नक्सल प्रबंधन संभाग के नक्सल हिंसा और संचार मंत्रालय के संचार सुविधाओं से महरूम गांवों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर हिंसा व संचार साधनों की गैर-मौजूदगी के बीच एक अन्तर्सम्बन्ध दिखता है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि संचार के आधुनिक और अत्याधुनिक संसाधनों की मौजूदगी के मामले में छत्तीसगढ़ जिस अनुपात में पिछड़ा हुआ है, उसी अनुपात में नक्सली गतिविधियों और नक्सल हिंसा के मामले में छत्तीसगढ़ केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। लोकसभा में 11 दिसंबर 2013 को भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 1110 के दिये गये उत्तर के

अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य देश में मोबाइल टावरों से महरूम गांव की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर था। आंकड़ों के अनुसार 2013 में छत्तीसगढ़ राज्य के 5460 गांव मोबाइल टावर की सुविधाओं से वंचित थे। इस दौरान पूरे देश में हुई नक्सली घटनाओं में भी छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर था। वर्ष 2013 में देशभर में कुल 1129 नक्सली घटनाएं हुई, जिसमें 353 घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई और इस दौरान 110 लोग मारे गये। नक्सली घटनाएं और मौत तथा शहादत के मामले में छत्तीसगढ़ देश भर में हुई नक्सली घटनाएं और शहादत के मामले में दूसरे नंबर पर था। विश्लेषण करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि मोबाइल टावर से वंचित अधिकांश गांव बस्तर संभाग के अन्तर्गत आते हैं और राज्य में हुई कुल नक्सली घटनाओं का 95 प्रतिशत और 80 प्रतिशत हिंसा बस्तर संभाग में हुई है।

विगत एक दशक में सुरक्षाबलों के कैंप खोले जाने, सड़कों के नेटवर्क को बढ़ाने और मोबाइल टावर स्थापित किए जाने के बावजूद आज भी नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग का बड़ा भौगोलिक क्षेत्र संचार के आधुनिक और अत्याधुनिक संसाधनों से वंचित है और ऐसे ही क्षेत्र नक्सलियों के आधारभूमि के रूप में आज भी मौजूद है।

तमाम कोशिशों के बावजूद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग बस्तर संभाग के करीब 60 प्रतिशत मतदान केन्द्रों तक ही कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करा सका। इसका अर्थ यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार बस्तर

तालिका-2 बस्तर संभाग में संप्रेषण के आधुनिक संसाधनों का उपयोग

संप्रेषण के साधनों के उपयोगकर्ता परिवार	परिवारों की कुल संख्या (6,56,413)	ग्रामीण परिवार (5,56,896)	शहरी परिवार (90,517)	कुल उपभोक्ता परिवारों में ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत	ग्रामीण परिवारों द्वारा संप्रेषण के साधनों का उपयोग
रेडियो-ट्रांजिस्टर के उपयोगकर्ता परिवार	75,564	66,737	8827	88.31	10.17
टेलीविजन के उपयोगकर्ता परिवार	1,12,312	58,849	53,463	52.40	8.96
कंप्यूटर के उपयोगकर्ता परिवार	15,537	9397	6140	60.48	1.43
इंटरनेट के उपयोगकर्ता परिवार	3519	874	2645	24.84	0.13
लैंडलाइन फोन के उपयोगकर्ता परिवार	5839	3690	2149	63.19	0.56
मोबाइल फोन के उपयोगकर्ता परिवार	1,10,024	63,071	46,953	57.32	9.61
लैंडलाइन और मोबाइल उपयोगकर्ता परिवार	9529	3504	6025	36.77	0.53
कुल उपयोगकर्ता परिवार	3,32,324	20,61,22	1,26,202	62.02	31.40

स्त्रोत:http://www.censusindia.gov.in/2011census/hlo/District_Tables/HLO_Distt_Table_Chhatisgarh.html

तालिका-3 लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान बस्तर के पोलिंग बूथ पर मोबाइल कनेक्टिविटी

क्रम संख्या	जिला	मोबाइल नेटवर्क विहीन मतदान केन्द्र
1	नारायणपुर	23
2	बस्तर	04
3	दंतेवाड़ा	21
4	बीजापुर	17
5	सुकमा	58
6	कोंडागांव	36
7	कांकेर	35
कुल		194

स्त्रोतः-ceochhattisgarh.nic.in

संभाग के आबादी वाले क्षेत्र के केवल साठ प्रतिशत क्षेत्रों तक ही मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करा पाई है। आबादी विहीन अबूझमाड़ जैसे इलाके तो पूरी तरह से संचार के आधुनिक और अत्याधुनिक सुविधाओं से वंचित ही हैं। यही कारण है कि बस्तर संभाग के ये इलाके नक्सलियों के सबसे सुरक्षित इलाके के रूप में मौजूद हैं।

निष्कर्ष

भारत सरकार के वामपंथी उग्रवाद प्रभाग के पेज पर नक्सलवाद की पृष्ठभूमि का पहला वाक्य है- '**कुछ दशकों से देश के दूरदराज के तथा संचार के साधनों से अच्छी तरह न जुड़े कतिपय भागों में अनेक वामपंथी उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं।**' इसका मतलब है कि सरकार इस बात को महसूस करती है कि देश से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का संप्रेषण के साथ गहरा संबंध है और संप्रेषण के विभिन्न आयामों का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गहरा प्रभाव भी दिखाई देता है।

प्रो. रोबिन जैफरी की किताब न्यूज पेपर रेव्यूलेशन इन इंडिया इस बात की तरफ संकेत करती है कि देश के उन हिस्सों में अलगाववादी आंदोलन ज्यादा प्रभावी रहे हैं, जहां अखबारों की पहुंच नहीं है। वर्तमान समय में इसे मीडिया की पहुंच के रूप में देख सकते हैं। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के अधिकांश कोर क्षेत्रों में विकास संचार की प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध है। यूनिसेफ ने विकास संचार की परिभाषा देते हुए कहा है कि विकास संचार, संचार उपकरणों के उपयोग के माध्यम से विचार और ज्ञान के आदान-प्रदान की ऐसी दो-तरफा प्रक्रिया है, जो व्यक्ति और समुदाय को सक्षम बनाकर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया में विकास संचार की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, उसमें सूचना विषमता को खत्म करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, सामाजिक उत्प्रेरक का काम करना, सामाजिक भागीदारी को बढ़ाना और सामाजिक परिवर्तन तथा मीडिया एडवोकेसी के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना शामिल है।

यह अनायास नहीं है कि जिन क्षेत्रों में संचार सुविधाओं का अभाव है और जो क्षेत्र पहुंच विहीन हैं, उन्हीं क्षेत्रों में नक्सलियों ने अपना आधार विकसित किया है। ■

**लेखक छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार तथा आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के पोस्ट डॉक्टोरल फ़ेलो हैं। छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।*

बस्तर में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के एक तथ्यान्वेषी दल की रिपोर्ट

निम्न का आकलन और परीक्षण:

- छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की गिरफ्तारी की हालिया रिपोर्टें
- राज्य में पत्रकारों के समक्ष खतरे और चुनौतियां
- पत्रकारिता के पेशे के समक्ष चुनौतियां

सार:

छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर मंडल काफी तेजी से संघर्षों के क्षेत्र में बदलता जा रहा है। यहां सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच लगातार जंग जारी है। इन दोनों के बीच पत्रकार फंसे हुए हैं और उन पर सरकारी व गैर-सरकारी दोनों ही ताकतों का हमला हो रहा है।

पिछले कुछ महीनों के दौरान पत्रकारों पर हमले की कई घटनाएं खबरों में आई हैं। खबरों के अनुसार कम से कम दो ऐसे पत्रकार हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया है तथा अन्य ऐसे पत्रकार हैं, जिन्हें इस कदर धमकाया गया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बस्तर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। सूचना के अनुसार कम से कम एक पत्रकार के आवास पर भी हमला हुआ है।

इन खबरों की पड़ताल करने के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने तीन सदस्यों की एक तथ्यान्वेषी टीम का गठन किया। चूंकि सीमा चिश्ती यात्रा करने में असमर्थ थीं, इसलिए प्रकाश दुबे और विनोद वर्मा ने 13, 14 और 15 मार्च, 2016 को रायपुर/जगदलपुर का दौरा किया।

तथ्यान्वेषी कमेटी के सदस्यों ने जगदलपुर में कई पत्रकारों और सरकारी अफसरों से मुलाकात की। रायपुर में इस टीम ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और राज्य के सभी शीर्ष अधिकारियों समेत कई संपादकों और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात की।

टीम ने पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम और आलोक पुतुल के बयानात दर्ज किए। टीम ने केंद्रीय कारागार का दौरा करके वहां बंद पत्रकार संतोष यादव से भी मुलाकात की।

तथ्यान्वेषी दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पत्रकारों को खतरे संबंधी मीडिया में आई खबरें सच है। छत्तीसगढ़ में मीडिया जबरदस्त दबाव में काम कर रहा है। जगदलपुर और सुदूर आदिवासी अंचलों में पत्रकारों को खबरें जुटाने और प्रसारित करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पत्रकारों पर जिला प्रशासन, खासकर पुलिस का दबाव है कि उनके मुताबिक खबर लिखें और ऐसी खबरें न छापें, जिसे प्रशासन अपने खिलाफ मानता है। इलाके में काम कर रहे पत्रकारों पर माओवादियों का भी दबाव है। मोटे तौर पर यह धारणा है कि प्रत्येक पत्रकार पर सरकार निगरानी रखे हुए है और उनकी सभी गतिविधियों की जासूसी की जा रही है। वे फोन पर कुछ भी बात करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हीं के मुताबिक 'पुलिस हमारा एक-एक शब्द सुनती है।'

कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि एक विवादास्पद नागरिक समूह सामाजिक एकता मंच बस्तर में पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्तपोषित और संचालित किया जाता है। उनके मुताबिक यह समूह सलवा

जुडूम का ही एक अवतार है।

पत्रकारों को चुनौतियां : कुछ मामले

छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल में अखबारों के लिए लिखने की चुनौती कोई नई नहीं है। एक पत्रकार प्रेमराज जो कांकेर में दैनिक देशबंधु के प्रतिनिधि थे, उन पर 1991-92 में आतंक निरोधी कानून टाडा लगाया गया था, जब अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में बीजेपी की सरकार थी। उन पर माओवादियों के निकट होने का आरोप था। बाद में अदालत ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

दिसंबर 2013 में एक ग्रामीण पत्रकार साई रेड्डी की बीजापुर के करीब एक गांव में माओवादी विद्रोहियों ने हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार माओवादियों के एक समूह ने बाजार के पास उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला किया और उसके बाद वे मौका-ए-वारदात से भाग गए।

बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष एस. करीमुद्दीन ने तथ्यान्वेषी दल को बताया कि 2008 में साई रेड्डी को पुलिस ने विवादास्पद कानून छत्तीसगढ़ विशेष सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था। उन पर माओवादियों से संपर्क में होने का आरोप था। दूसरी ओर माओवादी उन्हें सुरक्षा बलों का वफादार मानते थे, जिन्होंने बाद में उनके घर में आग लगा दी और उन्हें मार डाला।

फरवरी 2013 में एक और ग्रामीण पत्रकार नेमिचंद जैन को भी सुकमा में माओवादियों ने मार डाला था। उन्हें शक था कि वे सुरक्षा बलों के खबरी का काम करते हैं। उनकी हत्या के 45 दिन बाद माओवादियों ने इस कृत्य के लिए माफी मांगी थी।

पिछले साल 2015 में पुलिस ने उसी विवादास्पद कानून के अंतर्गत दो और पत्रकारों को माओवादियों से कथित संपर्क के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें से एक संतोष यादव को सितंबर में गिरफ्तार किया गया। वे रायपुर के दो अखबारों नवभारत और दैनिक छत्तीसगढ़ में स्ट्रिंगर थे। दोनों अखबारों के संपादकों ने माना है कि वे उनके यहां काम करते थे। तथ्यान्वेषी दल ने जगदलपुर के केंद्रीय कारागार में संतोष यादव से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि दोनों ही पक्ष यह समझते हैं कि वे दूसरे पक्ष के करीबी हैं।

एक और पत्रकार सोमेरू नाग को जुलाई 2015 में गिरफ्तार किया गया था। वे भी स्ट्रिंगर थे और रायपुर से निकलने वाले एक अखबार के समाचार प्रतिनिधि थे, लेकिन उक्त अखबार ने कभी नहीं माना कि वे उनके कर्मचारी थे।

दोनों ही मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है और मामला अदालत में लंबित है।

बीती 8 फरवरी, 2016 को मालिनी सुब्रमण्यम के घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। वे स्क्रोल डॉट इन के लिए खबरें लिखती हैं और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ दि रेड क्रॉस (आइसीआरसी) की पूर्व प्रमुख हैं। जैसा कि मालिनी ने तथ्यान्वेषी दल को बताया, उनके घर पर सुबह के वक्त हमला हुआ। मालिनी ने पाया कि उनके जगदलपुर आवास के बाहर पत्थर बिखरे हुए थे और उनकी गाड़ी की खिड़की का कांच टूटा हुआ था। उनके मुताबिक हमले से पहले करीब 20 लोग उनके घर के बाहर जमा हुए और नारे लगाने लगे- 'नक्सल समर्थक बस्तर छोड़ो', 'मालिनी सुब्रमण्यम मुदार्बाद'। उन्हें शक है कि हमले में भी यही लोग शामिल रहे होंगे। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 'उनका लिखा एकतरफा होता है और वे हमेशा माओवादियों से सहानुभूति जताती हैं।'

यही आरोप सामाजिक एकता मंच ने भी लगाया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मंच को चलाने वाले वे लोग हैं, जो माओवादियों के विरोधी हैं हालांकि जगदलपुर और रायपुर के पत्रकारों का कहना था कि मंच को पुलिस सहयोग और पैसा मिलता है। इनमें से कुछ ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक श्री एसआरपी कल्लूरी इस मामले में सीधे लिप्त हैं। हालिया मामला बीबीसी के पत्रकार आलोक पुतुल ने रिपोर्ट किया था, जिन्हें धमकी मिलने के बाद बस्तर छोड़कर जाना पड़ा था। तथ्यान्वेषी दल द्वारा दर्ज किए गए उनके बयान के मुताबिक उन्हें मिली धमकियों से पहले आलोक को आइजी और एसपी के संदेश प्राप्त हुए, जिन्होंने उनसे मिलने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वे 'राष्ट्रवादी और देशभक्त पत्रकारों' से बात करना पसंद करते हैं।

डर के कारण

टीम को एक भी ऐसा पत्रकार नहीं मिला, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा कर सके कि वह बिना भय या दबाव के काम कर रहा है। बस्तर और रायपुर दोनों ही जगह तैनात पत्रकारों ने

दोनों पक्षों की ओर से दबाव का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच काम करना पड़ रहा है और दोनों ही पक्ष पत्रकारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते।

इन सभी ने शिकायत की कि प्रशासन इनके फोन टैप करता है और इन लोगों पर अघोषित निगरानी रखी जाती है। सरकारी अफसरों ने सीधे तौर पर इन आरोपों का खंडन किया। प्रधान सचिव (गृह) बीवीके सुब्रमण्यम ने कहा, 'जासूसी के लिए हर एक अनुरोध को मैं ही मंजूरी देता हूं और मैं पूरे अधिकार के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकारी विभाग को एक भी पत्रकार की फोन कॉल टैप करने की अनुमति नहीं दी गई है।'

बस्तर में तैनात पत्रकारों ने बताया कि वे खबर लिखने के लिए संघर्ष के क्षेत्र में यात्रा करने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि वे जमीनी खबरें नहीं लिख सकते। यह बात अलग है कि बस्तर के कलेक्टर अमित कटारिया ने तथ्यान्वेषी दल को बताया कि पूरा बस्तर हर किसी के लिए खुला है, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं।

बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष करीमुद्दीन ने बताया, 'मैं जगदलपुर से बाहर की किसी भी जगह बीते छह साल से नहीं गया हूं क्योंकि मुझे सच लिखने की मनाही है और आप जो देखते हैं अगर उसे लिख नहीं सकते, तो फिर बाहर जाकर सूचना जुटाने का कोई मतलब नहीं बनता।' वे पिछले तीन दशक से ज्यादा वक्त से यूएनआई के बस्तर प्रतिनिधि हैं।

ऐसा ही दावा एक स्थानीय अखबार के संपादक दिलशाद नियाजी ने भी किया, जिन्होंने बताया कि वे डर के मारे पिछले आठ साल से पड़ोसी जिले बीजापुर नहीं गए हैं। इस इलाके में खूब यात्राएं कर चुके एक स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार हेमन्त कश्यप का कहना है कि वे बस्तर से अपने शरीर जितना परिचित हैं लेकिन अब पत्रकारों ने यात्रा करनी बंद कर दी है। उन्होंने बताया, 'पुलिस और माओवादी दोनों के भय से आज सारे पत्रकार जंगलों के भीतर जाना बंद कर चुके हैं। अब हम माओवादी संगठन से ही कह देते हैं कि वे प्रेस विज्ञप्ति और तस्वीरें भेज दें। ये प्राप्त होते ही हम जस का तस इन्हें छाप देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपनी लिखी हर पंक्ति की व्याख्या उनके सामने हमें करनी पड़े। इसी तरह पुलिस भी हमसे उम्मीद करती है कि हम उसका संस्करण जस का तस छाप दें, लिहाजा अधिकतर पत्रकार बिना कोई सवाल पूछे उनकी दी हुई प्रेस विज्ञप्ति छाप देते हैं।'

मालिनी सुब्रमण्यम ने बताया कि यदि कोई पत्रकार सूचना जुटाने के लिए बाहर जाने की हिम्मत भी कर लें, तो माना जाता हैं कि उसे लोगों से बात नहीं करनी है। उन्होंने बताया, 'पुलिस अधिकारी पत्रकारों से यह उम्मीद करते हैं कि उनकी कही बात का भरोसा करके वे छाप दें। अगर कोई पत्रकार तथ्यों को जुटाने के लिए थोड़ी भी अतिरिक्त मेहनत करने की मंशा रखता हो, तो यह उन्हें पसंद नहीं आता। एक आत्मसमर्पण के मामले में मैंने जब कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो पहले मुझसे पूछा गया कि मैं उन लोगों के नाम बताऊं, जिनसे मैं बात करना चाहती हूं और मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें बता दिया गया था कि मुझसे क्या बोलना है।'

तथ्यान्वेषी दल ने पाया कि यह भय केवल आदिवासी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि जगदलपुर से 280 किलोमीटर दूर राजधानी रायपुर में भी यही हाल है। रायपुर में काम करने वाले सभी संवाददाताओं ने कहा कि उनके फोन टैप होते हैं। कुछ ने तो इसकी पुष्टि करने के लिए कुछ घटनाएं भी बताईं। एक काफी वरिष्ठ पत्रकार जिनके बारे में माना जाता है कि रमन सिंह सरकार से उनके मधुर रिश्ते हैं, उन्होंने बताया, 'किसी को बख्शा नहीं जाता, मुझे भी नहीं। वे लोग मेरे फोन को भी टैप करते हैं।' सरकारी अफसरों ने इस आरोप का खंडन किया और दावा किया कि एक भी पत्रकार पर निगरानी नहीं रखी जा रही है। उनके मुताबिक यह धारणा का मामला है और इसे दुरुस्त करने की वे कोशिश करेंगे।

एक पुराने और प्रतिष्ठित अखबार के मुख्य संपादक ललित सुरजन ने बताया कि पत्रकारों के लिए अपना काम करना अब बेहद कठिन हो चला है। टीम के साथ मुलाकात में उन्होंने बताया, 'आप यदि किसी चीज का स्वतंत्र विश्लेषण करना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे आपकी मंशा पर ही सवाल खड़ा कर देंगे और सीधे यह सवाल पूछ देंगे कि 'आप सरकार के साथ हैं या माओवादियों के?' उन्होंने स्वीकार किया कि यह समस्या केवल सरकार के साथ ही नहीं है, माओवादियों के साथ भी है। उन्होंने कहा, 'दोनों को लगता है कि आप जो

कुछ लिख रहे हैं, वह गलत है।'

सुरजन ने कहा कि बस्तर जैसे इलाकों में काम करना लगातार दूभर होता जा रहा है क्योंकि पत्रकार माओवादियों से मिलने से नहीं बच सकते जबकि सरकार उन्हें संदेह का मामूली लाभ तक देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, 'सरकार को लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और पत्रकारों को संदेह का लाभ देना चाहिए।'

उन्होंने संतोष यादव और सोमेरू नाग की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और एक अच्छे रिपोर्टर के तौर पर साई रेड्डी को याद किया, जिन्हें नक्सलियों ने मार दिया था।

पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां

बस्तर में काम कर रहा एक पत्रकार पत्रकारिता के बारे में सवाल करने पर उम्मीद करेगा कि उससे सीधे पूछा जाए, 'किस पक्ष की पत्रकारिता?' जैसा कि स्थानीय पत्रकार कहते हैं, बस्तर में पत्रकारों की तीन श्रेणियां हैं- सरकार समर्थक, सरकार के कम समर्थक और माओवादी समर्थक या उनसे सहानुभूति रखने वाले पत्रकार।

जांच दल ने पाया कि अकेले जगदलपुर में करीब 125 पत्रकार तैनात हैं। इन्हें चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

पेशे से पत्रकार: इस श्रेणी में कुछ ही लोग हैं। ये पत्रकार आमतौर पर रायपुर से निकलने वाले अखबारों के प्रतिनिधि हैं। कुछ अखबारों के बस्तर संस्करण भी निकलते हैं, इसलिए इन संस्करणों के प्रभारियों को भी इस श्रेणी में गिना जा सकता है। इस श्रेणी के पत्रकार अखबार या समाचार एजेंसी में वैतनिक कर्मचारी होते हैं।

अंशकालिक पत्रकार: इस श्रेणी में जगदलपुर (या फिर बस्तर के अन्य जिलों) के दर्जनों पत्रकार आते हैं। इनका असली पेशा पत्रकारिता नहीं है। इन्हें सरकारी ठेके चाहिए होते हैं, ये बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, इनके होटल हो सकते हैं या फिर ये किसी एनजीओ के निदेशक भी हो सकते हैं। अपनी कारोबारी रुचियों के अतिरिक्त वे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक और प्रकाशक बने हुए हैं अथवा किसी अज्ञात या कम ज्ञात प्रकाशन के संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका मुख्य काम पत्रकारिता नहीं है। इस श्रेणी के कथित पत्रकारों को अपने प्रकाशन से मिलने वाले वेतन से कोई मतलब नहीं होता, वे अपने प्रकाशन के वितरण आदि की कोई परवाह नहीं करते और उसकी प्रतिष्ठा की चिंता तो इनको बिल्कुल नहीं होती है। इनके पास पैसा कहीं और से आता है। तथ्यान्वेषी दल को बताया गया कि इनमें से कई लोग अपने पत्रकारीय प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी ठेके, विज्ञापन, कारोबार आदि हासिल करते हैं और कभी-कभार तो सरकारी अफसरों व कारोबारियों से वसूली भी करते हैं। ज्यादातर मौकों पर वे जाहिर तौर से सरकार के समर्थन में रहते हैं और रायपुर में रहने वाले बड़े पत्रकार इन्हें 'सरकारी पेरोल पर काम करने वाले पत्रकार' का नाम देते हैं। बस्तर में चूंकि भ्रष्टाचार भयंकर रूप से व्याप्त है, तो इन्हें किसी खबर को छापने के लिए नहीं बल्कि नहीं छापने के लिए पैसे मिल रहे हैं। बस्तर जैसे संघर्ष के क्षेत्र में ऐसे लोग स्थानीय पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पसंदीदा होते हैं।

स्ट्रिंगर और समाचार एजेंट: ये लोग बस्तर में पत्रकारिता की रीढ़ हैं। संघर्ष-क्षेत्र के सुदूर इलाकों में तैनात इन लोगों को स्ट्रिंगर, न्यूज एजेंट और यहां तक कि हॉकर भी कहा जाता है। ये लोग खबरें जुटाकर या तो जगदलपुर ब्यूरो में या फिर सीधे मुख्यालय में भेजते हैं। इन्हें अपने अखबार से न तो कोई औपचारिक नियुक्ति पत्र मिलता है और न ही काम के बदले कोई पारिश्रमिक मिलता है। इन्हें केवल प्रतिनिधित्व के नाम पर अखबार या एजेंसी से एक पत्र दे दिया जाता है, जिसमें यह लिखा होता है कि इन्हें प्रकाशन के लिए खबरें और विज्ञापन जुटाने का अधिकार है। कुछ के पास प्रेस कार्ड भी हो सकता है लेकिन शायद ही कभी संस्था को इसके नवीनीकरण की चिंता होती हैं। तथ्यान्वेषी दल इस बात से हैरत में था कि सुदूर क्षेत्रों में मौजूद कई पत्रकारों के पास कुछ राष्ट्रीय टीवी चैनलों के प्रेस कार्ड मौजूद थे। इनके पास पैसा या तो विज्ञापन के कमीशन के रूप में आता है या फिर किसी और धंधे से, जिससे वे जुड़े होते हैं। अगर कभी इनका भेजा फुटेज प्रसारित हो गया तो टीवी चैनल इन्हें कुछ पारिश्रमिक दे देते हैं, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है और भुगतान भी काफी कम होता है।

अतिथि पत्रकार: ये पत्रकार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधि होते हैं। ये या तो रायपुर से आते हैं, जहां वे तैनात होते हैं या फिर सीधे दिल्ली अथवा मुंबई के मुख्यालय से आते हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन इनसे बहुत

चिढ़ता है क्योंकि वे बहुत सवाल पूछते हैं, तथ्यों को जानने पर जोर देते हैं और प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने की कोशिश करते हैं। इन्हें सामान्य तौर पर माओवादियों से सहानुभूति रखने वाला या माओवादी समर्थक माना जाता है। जैसा कि रायपुर के एक वरिष्ठ संपादक कहते हैं, 'इनकी रिपोर्टें माओवादी समर्थक इसलिए लगती हैं क्योंकि वे भीतर जाकर लोगों से बात करते हैं और लोगों की कही कोई भी बात जाहिर तौर से सरकारी संस्करण का खंडन करती है और इसीलिए इनकी लिखी खबरों को माओवादी समर्थक या सरकार विरोधी मान लिया जाता है।' इस श्रेणी के पत्रकारों की दिक्कत यह है कि वे लंबे समय तक बस्तर में नहीं ठहर सकते इसलिए इनकी रिपोर्ट बहुत टिकती नहीं है। दूसरे, वे खास काम लेकर आए होते हैं और कुल मिलाकर एक स्टोरी की तलाश में रहते हैं। तीसरे, वे बस्तर के अधिकतर इलाकों में नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें अधिकतर आदिवासी इलाकों में यह कहकर नहीं जाने दिया जाता कि वे 'सुरक्षित' नहीं हैं। चौथी बात, इन्हें स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान नहीं होता और इसीलिए वे दुभाषिए की बताई बात पर आश्रित होते हैं। यह दुभाषिया ऊपर बताई गई दूसरे नंबर की श्रेणी का कोई स्थानीय पत्रकार हो सकता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे स्क्रोल डॉट इन की प्रतिनिधि मालिनी सुब्रमण्यम जो खुद जगदलपुर में ही रहती हैं और खबरें जुटाने के लिए सुदूर इलाकों में जाती रही हैं, लेकिन वे भी वहां जाहिर कारणों से लंबे समय तक ठहरने में सक्षम नहीं हैं।

भाषा और सामाजिक तबका

कुछ ऐसे पत्रकार हैं, जो आदिवासियों की भाषा/बोली को समझ सकते हैं, चाहे वह गोंडी हो, हलबी या कोई और बोली। एक पत्रकार भी ऐसा नहीं है, जो खुद आदिवासियों के बीच से आता हो। अधिकतर पत्रकार दूसरे तबके के होते हैं और कोई दूसरी भाषा बोलते हैं। इनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, हिंदी, बांग्ला आदि कुछ भी हो सकती है लेकिन वह नहीं, जिसमें स्थानीय ग्रामीण बात करता है। यहां भाषा एक बड़ी बाधा है।

दुर्गम इलाका

संघर्ष क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अबूझमाड़ में है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'अनजाने पहाड़'। यह एक पहाड़ी और जंगली इलाका है, जहां तमाम जनजातियां रहती हैं। यहां की आबादी बहुत कम है। भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक देश में औसत आबादी घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इस इलाके में यह आंकड़ा केवल 10 है। इसके अलावा यह ऐसा इलाका है, जहां मलेरिया एक आम रोग है। चूंकि यह माओवादियों का कथित मुक्त क्षेत्र भी है, लिहाजा इस जंगल के भीतर खबरें जुटाने के लिए जाना बहुत दुर्गम है।

सरकार की प्रतिक्रिया

तथ्यान्वेषी दल ने छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में राज्य के सभी शीर्ष नौकरशाह भी मौजूद थे। एडिटर्स गिल्ड की कार्यकारी समिति के सदस्य रुचिर गर्ग और एक स्थानीय दैनिक के संपादक सुनील कुमार भी बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अधिकतर घटनाओं की जानकारी है और वे इसके बारे में चिंतित हैं। उनका कहना था कि उनकी सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र मीडिया के पक्ष में है। उन्होंने तथ्यान्वेषी दल से कहा कि पत्रकार संतोष यादव की गिरफ्तारी के बाद हुए विवाद के चलते उन्होंने शीर्ष अधिकारियों और कुछ संपादकों की एक बैठक बुलाई थी और एक निगरानी समिति का गठन किया था, जिससे मीडिया और पत्रकारों से संबंधित किसी भी मामले में परामर्श किया जाएगा।

पत्रकारों के फोन टैप किए जाने और जासूसी के आरोपों पर प्रधान सचिव (गृह) ने टीम को आश्वस्त किया कि निगरानी रखने को मंजूरी देने का अधिकार उन्हीं के पास है और वे दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भी पत्रकार की जासूसी नहीं की जा रही। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने माना कि धारणा का फर्क है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह धारणा को दुरुस्त करे। इस बैठक में बस्तर के आइजी एसआरपी कल्लूरी का प्रेस के प्रति रवैया भी चर्चा के दौरान उठा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिर्फ एक अधिकारी के व्यवहार के चलते माओवादी इलाकों में सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे काम पर दाग नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेस से बात करने के लिए कोई ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जिसकी विश्वसनीयता हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रधान सचिव (गृह) को जगदलपुर जाकर मीडिया से संवाद करना चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने टीम को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार किसी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है और वे निजी स्तर पर वे सारे अनिवार्य कदम उठाएंगे जो मीडिया को किसी भी किस्म के भय से मुक्त किए जाने के लिए जरूरी हैं।

सामाजिक एकता मंच

यह जगदलपुर का एक अनौपचारिक लेकिन विवादास्पद संगठन है। प्रशासन इसे नागरिकों का मंच बताता है और दावा करता है कि सभी किस्म के लोग इस संगठन के सदस्य हैं। जगदलपुर के कलक्टर अमित कटारिया ने बताया कि कई धार्मिक संगठन भी इसका हिस्सा हैं और वे माओवादियों के विरोधी हैं।

कई पत्रकार इस मंच को सलवा जुडूम का शहरी अवतार बताते हैं। वे हालांकि उसका खुलकर विरोध नहीं करना चाहते। पत्रकारों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि यह मंच पुलिस द्वारा प्रायोजित है और पुलिस मुख्यालय के निदेशों पर काम करता है।

टीम ने इस मंच के एक संयोजक सुब्बाराव से मुलाकात करके यह जानने की कोशिश की कि सामाजिक एकता मंच काम कैसे करता है।

उन्होंने अपना परिचय दो अखबारों के संपादक के रूप में कराया। एक अखबार सवेरे निकलता है और दूसरा शाम को छपता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मुख्य पेशा पत्रकारिता है, तो सुब्बाराव ने खुलकर बताया कि वे दरअसल एक सिविल ठेकेदार हैं और कुछ सरकारी ठेकों पर काम कर रहे हैं। टीम ने जगदलपुर में दर्जन भर से ज्यादा पत्रकारों से मुलाकात की, लेकिन सुब्बाराव अकेले (तथाकथित) पत्रकार थे, जिन्होंने दावा किया कि उन्हें प्रशासन की ओर से कभी कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने संतोष यादव और सोमेरू नाग को माओवादियों का खबरी बताया। उन्होंने कहा कि मालिनी सुब्रमण्यम एकपक्षीय खबरें लिखती हैं। उन्होंने कहा, 'मालिनी माओवादियों की प्रशंसा कर रही थीं और पुलिस को शोषक की तरह दिखा रही थीं।' उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मालिनी के आवास पर हमले के पीछे सामाजिक एकता मंच का हाथ था।

केस और निष्कर्ष

संतोष यादव/सोमेरू नाग

संतोष को पुलिस ने 29 सितंबर, 2015 को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन पर माओवादियों के कूरियर होने और उनसे पैसे लेने का आरोप लगाया।

सरकारी अफसरों का दावा था कि संतोष यादव पत्रकार नहीं है और वे नहीं जानते कि वह किस अखबार के लिए काम कर रहा था। टीम ने जगदलपुर के केंद्रीय कारागार में संतोष यादव से मुलाकात की और उनके मामले पर बात की। उन्होंने दावा किया कि वे कम से कम दो अखबारों नवभारत और छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे थे (दोनों अखबारों के संपादकों ने इस बात की पुष्टि की कि संतोष यादव उनके लिए काम करता था और वे अपने अखबार का पत्रकार उन्हें मानते हैं)।

संतोष ने माना कि उनके पास माओवादी नेताओं के फोन आते थे लेकिन ऐसा केवल खबरों के सिलसिले में था और उन्होंने कोई भी सूचना उन्हें नहीं पहुंचायी। उन्होंने यह भी माना कि वे दरभा और जगदलपुर के बीच कभी-कभार पैकेट पहुंचाते थे। कभी वह अखबारों और पत्रिकाओं का बंडल होता तो कभी कुछ दूसरे कागजात होते जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि संघर्ष-क्षेत्र के सुदूर इलाके में रहने वाला कोई भी व्यक्ति माओवादियों को इनकार नहीं कर सकता कि वह उनका कागज का बंडल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगा। इनकार करना जान को खतरा पहुंचाने के समान होगा।

देशबंधु अखबार समूह के मुख्य संपादक ललित सुरजन ने टीम के साथ परिचर्चा के दौरान कहा, 'संतोष यादव और बस्तर के सुदूर इलाके में काम करने वाले तमाम पत्रकारों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि वे अपने पेशे के सिलसिले में माओवादियों से बात करते रहे हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है।' उनका कहना था कि इन सुदूर इलाकों के पत्रकार अपने पेशे के सिलसिले में पुलिस से भी बात करते हैं, जिसके चलते माओवादियों के गुस्से का शिकार बन जाते हैं। संतोष यादव ने टीम को बताया कि एक आला पुलिस अधिकारी ने उन्हें इलाके में माओवादियों की आवाजाही से जुड़ी सूचना पुलिस को देने के नाम पर कुछ पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि अखबारों में कुछ खबरें प्रकाशित होने के बाद उन्हें स्थानीय थाने पर बुलाया गया और तीन दिनों तक प्रताड़ित किया गया।

सोमेरू नाग को भी पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। वे एक अखबार के एजेंट थे और उसके लिए खबरें जुटाते थे, लेकिन अखबार ने उन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया है। इनके ऊपर भी वही आरोप हैं, जो संतोष पर हैं।

मालिनी सुब्रमण्यम

मालिनी स्क्रोल डॉट इन नामक वेबसाइट के लिए लिखती हैं। वे जगदलपुर में रहकर वेबसाइट को खबरें भेजती थीं। उन्हें स्क्रोल के लिए काम करते साल भर हो रहा है। इससे पहले वे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस (आइसीआरसी) की प्रमुख थीं। पहले उन्हें कुछ लोगों के एक समूह ने धमकाया, फिर 8 फरवरी 2016 को तड़के उनके आवास पर हमला हुआ। इसके बाद उन्हें जगदलपुर का यह किराये का मकान छोड़ने के लिए बाध्य किया गया।

टीम जब जगदलपुर में थी तो वे उस वक्त हैदराबाद में थीं। टीम ने फोन पर ही उनसे बात की।

स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जगदलपुर से कोई स्क्रोल के लिए लिख रहा है। जगदलपुर के कलक्टर ने इस बारे में कहा, 'वह तो मुख्यधारा का मीडिया भी नहीं है।' स्थानीय पत्रकारों का कहना कि इस विवाद के सामने आने से पहले खुद उन्हें नहीं पता था कि मालिनी स्क्रोल के लिए लिखती हैं। मालिनी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी सरकार के जनसंपर्क विभाग में एक पत्रकार के बतौर अपना पंजीकरण करवाने की परवाह नहीं की क्योंकि वे दैनंदिन घटनाओं को कवर नहीं करती थी।

सरकारी अफसर मानते हैं कि वे मालिनी के लिखे से खुश नहीं हैं क्योंकि उनका लेखन 'हमेशा एकतरफा होता है और माओवादियों से सहानुभूति रखने वाला होता हैं।' कलक्टर अमित कटारिया ने टीम को बताया, 'यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पूछे सवाल भी माओवादी समर्थक हुआ करते थे।' मालिनी ने तथ्यान्वेषी टीम के समक्ष दर्ज कराए अपने बयान में इसका खंडन किया और कहा, 'अपनी सीमाओं के बावजूद मैं सुदूर इलाकों में दौरे करती रही हूं और स्थानीय लोगों से मिलकर उनके बारे में लिखती रही हूं। पुलिस नहीं चाहती कि कोई पत्रकार ऐसा करे। वे चाहते हैं कि पत्रकार उनकी कही बात लिखें या फिर उनकी प्रेस विज्ञप्ति को छाप दें।' (मालिनी ने टीम को बताया कि वे कुछ आदिवासियों से बात करने की कोशिश कर रही थीं, उस वक्त पुलिस ने आपत्ति की और कुछ लोगों को उठाकर पुलिस ले गई। पहले पुलिस ने उन लोगों को बताया कि क्या कहना है, उसके बाद उन्हें बात करने की अनुमति दी)।

मालिनी ने कहा कि उनके लिखे पर आपत्ति नवगठित संगठन 'सामाजिक एकता मंच' को थी। उन्हें शक है कि इस संगठन को स्थानीय पुलिस का सहयोग प्राप्त है और यह संगठन नियमित रूप से पुलिस के निर्देशों पर काम करता है। उन्होंने टीम को बताया कि दिन के वक्त कुछ दर्जन लोग उनके घर के सामने इकट्ठा हुए और उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। अगली सुबह उनके घर पर हमला हुआ।

तथ्यान्वेषी दल ने कई सरकारी अधिकारियों से पूछा कि क्या उन्होंने स्क्रोल की रिपोर्ट का कोई खंडन जारी किया है, सबने नहीं में जवाब दिया।

मालिनी ने कहा कि स्थानीय पुलिस लगातार असहिष्णु होती जा रही है और वह नहीं चाहती कि बस्तर में असहमति का कोई स्वर बचा रहे।

आलोक पुतुल

आलोक छत्तीसगढ़ से बीबीसी हिंदी के लिए लिखते हैं। वे खबर करने के लिए बस्तर गए थे और बस्तर के आइजी एसआरपी कल्लूरी व पुलिस अधीक्षक नारायण दास से मिलने की कोशिश कर रहे थे। कई कोशिशों के बाद उन्हें आइजी की ओर से यह संदेश मिला, 'आपकी रिपोर्टिंग बहुत एकतरफा और पूर्वाग्रहग्रस्त होती है। आप जैसे पत्रकारों पर अपना समय खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ मीडिया और प्रेस का एक राष्ट्रवादी और देशभक्त तबका खड़ा है तथा वह मेरा समर्थन भी करता है। बेहतर है कि मैं उन्हें वक्त दूं। शुक्रिया।'

पुलिस अधीक्षक ने भी ऐसा ही संदेश भेजा, 'हाय (अंग्रेजी में अभिवादन) आलोक, मुझे देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं। मेरे पास आप जैसे पत्रकारों के लिए वक्त नहीं है जो एकतरफा तरीके से खबरें लिखते हैं। मेरा इंतजार मत करना।'

टीम के सामने दर्ज कराए अपने बयान में आलोक पुतुल ने बताया कि

वे नक्सलियों के आत्मसमर्पण और कानून व्यवस्था के बारे में खबर करने गए थे और इसी सिलसिले में उन्हें पुलिस अधिकारियों के बयान लेने थे, लेकिन उनकी ओर से ऐसा संदेश अप्रत्याशित था।

आलोक बताते हैं, 'यह संदेश तो केवल शुरुआत भर थी। इसके बाद मेरा जानने वाला एक स्थानीय व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे इलाका छोड़कर चले जाने की सलाह दी क्योंकि कुछ लोग मेरी तलाश कर रहे थे। शुरुआत में मैं इसे हल्के में ले रहा था इसलिए दूसरे इलाके में दौरे पर चला गया, लेकिन वहां भी एक व्यक्ति मेरे पास यही बात बताने आया। उसके बाद मेरे पास तुरंत इलाका छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।'

आलोक ने टीम को बताया, 'सबसे पहले मैंने दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर और रायपुर के कुछ पत्रकारों को इसकी सूचना दी, उसके बाद रायपुर लौट आया।'

इस बारे में टीम द्वारा सवाल किए जाने पर जगदलपुर के कलक्टर अमित कटारिया ने हंसते हुए कहा, 'आलोक पुतुल और आइजी के बीच कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, और कुछ नहीं।'

कई बार संदेश भेजने और फोन करने पर भी टीम को आइजी एसआरपी कल्लूरी से मिलने का मौका नहीं मिला। टीम जब दिल्ली से निकलने को थी, तब उन्होंने मुलाकात का वक्त देने का आश्वासन दिया था लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया।

निष्कर्ष

1. संतोष यादव पत्रकार हैं और वे रायपुर के कम से कम दो अखबारों के लिए लिखते थे। दोनों अखबारों ने इसकी पुष्टि की है। इसलिए सरकार का यह दावा कि वे पत्रकार नहीं हैं, निराधार है।

2. अधिकारियों का दावा है कि उनके पास यादव के माओवादियों से संपर्क को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। इन साक्ष्यों को कहां पेश किया जाए, यह फैसला तो अदालत को करना है लेकिन रायपुर के वरिष्ठ पत्रकारों को लगता है कि वे परिस्थितियों का शिकार हुए हैं और उन्हें संदेह का लाभ मिलना चाहिए।

3. अधिकारियों के दर्ज कराए बयानात से साफ हैं कि प्रशासन मालिनी सुब्रमण्यम की स्क्रोल पर लिखी खबरों को लेकर असहज था। खबर के अपने पक्ष को सार्वजनिक करने के बजाय कथित नागरिक समूह 'सामाजिक एकता मंच' को मालिनी के घर पर हमले के लिए भड़काया गया और उन्हें न केवल शहर बल्कि राज्य छोड़कर जाने को मजबूर किया गया।

4. आलोक पुतुल बीबीसी के लिए कानून व्यवस्था पर खबर करने बस्तर गए हुए थे। उनसे मिलने या बात करने के बजाय बस्तर के दो शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने उन्हें संदेश भेजते हुए उनकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि कुछ लोग उन्हें खोज रहे थे, लिहाजा खुद को बचाने के लिए उन्हें इलाका छोड़ना पड़ा। टीम से मिलने के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं था। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को खतरे की बात का खंडन करते हुए इसे 'कम्युनिकेशन गैप' करार दिया।

5. बस्तर में भय का माहौल है। बस्तर में काम कर रहे हर पत्रकार को लग रहा है कि वह सुरक्षित नहीं है। एक तरफ उन्हें माओवादियों से निपटना पड़ता है जो मीडिया में आ रही रिपोर्टों के प्रति ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिस है जो चाहती है कि मीडिया उसी के हिसाब से खबर लिखे।

6. जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन कहते हैं, 'यदि आप किसी चीज का स्वतंत्र विश्लेषण करने की मंशा रखते हैं, तो आपके बारे में फैसला सुना दिया जाएगा कि आप सरकार के साथ हैं या माओवादियों के साथ। पत्रकारिता के लिए लोकतांत्रिक स्पेस संकुचित हो रहा है।'

7. छत्तीसगढ़ की सरकार में एक आम धारणा यह है कि राष्ट्रीय मीडिया का एक बड़ा तबका माओवादी समर्थक है। एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें सरकार का करीबी माना जाता हैं, उन्होंने यह बात कही।

8. अखबार और अन्य मीडिया प्रतिष्ठान सुदूर इलाकों में स्ट्रिंगरों की भर्ती बिना किसी औपचारिकता के कर रहे हैं। ये पत्रकार खबरें जुटाते हैं, विज्ञापन जुटाते हैं और अखबारों का वितरण भी करते हैं। आम तौर से ये पत्रकार विजापन से मिलने वाले कमीशन या किसी और धंधे से होने

वाली आय पर आश्रित रहते हैं। ऐसे स्ट्रिंगरों पर अलग से एक विस्तृत रिपोर्ट की सिफारिश की जाती है।

9. जिला मुख्यालय से बाहर काम करने वाले पत्रकारों की मान्यता के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं हैं। इसीलिए जब पहचान का सवाल उठता है तो सरकार आसानी से किसी के बारे में कह देती है कि वह पत्रकार नहीं है। मीडिया प्रतिष्ठान भी उन्हें अपनाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि एक सीमा के बाद वे उसकी जवाबदेही नहीं ले पाते।

10. राज्य सरकार चाहती है कि माओवादियों के साथ सरकार की लड़ाई को मीडिया राष्ट्र के लिए की जा रही लड़ाई के रूप में देखे, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले की तरह बरते और इस बारे में कोई सवाल न खड़ा करे।

11. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को बेहतर समन्वय और सहयोग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के तुरंत बाद एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया! इससे पता लगता है कि नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

12. टीम का विचार है कि अखबारों को स्ट्रिंगरों की भर्ती पूरी सतर्कता के साथ करनी चाहिए और उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। ■

(एडिटर्स गिल्ड की टीम में शामिल सदस्यों में प्रकाश दुबे, महासचिव, सीमा चिश्ती, कार्यकारी समिति सदस्य एवं विनोद वर्मा, कार्यकारी समिति सदस्य थे। इस टीम ने जगदलपुर, बस्तर और रायपुर में जाकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस यात्रा की अवधि 13 से 15 मार्च, 2016 थी।)

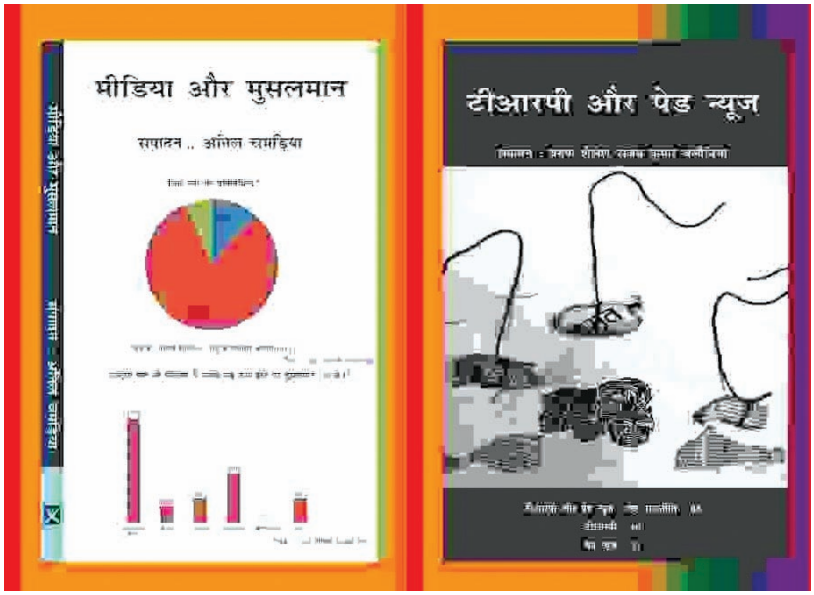

Annual Collection of Jan Media & Mass Media

Jan Media (Annual Collection)
2012-2013, 2013-2014
Binding : Hardbound
Price : ₹666 (Indivisual)
₹999 (Institutional)
ISSN : 2277-2847

Mass Media (Annual Collection)
2012- 2013, 2013-2014
Binding : Hardbound
Price : ₹666 (Individual)
₹999 (Institutional)
ISSN : 2277-7369

To buy these annual collections, please contact at the mobile numbers or deposite the required amount in 'Jan Media' bank account No.(21360200000710) Bank of Baroda, Badli Branch, Delhi-110042 (IFSC-BARB0TRDBAD). For online purchase, visit our website**www.mediastudiesgroup.org.in** or Contact at
C-2 Pipalwala Mohalla , Badli, Delhi, 110042,
Mo.7982380923
Email : subscribe.journal@gmail.com

हमले की शिकायत दर्ज कराना भी आसान नहीं

शालिनी गेरा*

मुझे लगता है कि वहां पर सच में पत्रकारिता काफी कठिन है और मतलब ताज्जुब होता है कि इतनी कठिनाई को झेलते हुए भी कितने सारे फिर भी पत्रकार हैं, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और बस शुरुआत में मैं थोड़ा सा मुकेश चंद्राकर के बारे में बोलना चाहूंगी, हमारा उनके साथ एक बार मिलना हुआ। वो 2022 में एक स्टोरी के लिए नारायणपुर आए थे। नारायणपुर कांकेर में बहुत बड़ी लौह अयस्क की खदानें हैं। 2022 में काफी स्थानीय लोग नारायणपुर में उनका विरोध कर रहे थे पर उनकी खबरें कहीं जा नहीं रही थी। तो उसको कवर करने के लिए मुकेश चन्द्राकर जी आए थे। वहां पर उन्होंने पहाड़ घूमा और देखा कि कितना बढ़िया सुंदर नजारा है। वहां से उन्होंने एक छोटा सा ट्रेलर सा बनाया और कहा कि देखिए मैं इस पर अभी लोगों से मिलूंगा, मैं कल इस पर स्टोरी कर रहा हूं। वो नीचे गए जहां पर कुछ गांव वाले खड़े थे उनसे बात करने के लिए और उनकी बात शुरू ही हुई थी तब कंपनी के गुंडे आए और फिर वहां पर भयंकर भीड़ आई और मारपीट हुई और चंद्राकर को भी चोट लगी। तो मतलब यह नजरिया है बस्तर का और इसमें लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद वहां के एसपी तक गए। वहां पर एसपी खुद बोलता है कि क्यों आपको इसकी शिकायत दर्ज करनी है। एसपी कहता है कि यह तो छोटी-मोटी बात है। मतलब आप पत्रकारिता का अपना काम करना चाह रहे हो और उनको गुंडों ने पीटा है और वो रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, इस पर एसपी बोल रहा है कि इसमें क्या है, यह तो होता रहता है। क्यों रिपोर्ट दर्ज करोगे? बीजापुर से आपको यहां तक आना पड़ेगा। यहां पर बुलाएंगे, वहां पर बुलाएंगे। छोड़ो नहीं करो। खैर उसको कुछ फॉलोअप किया, आखिर में कुछ नहीं हुआ।

आमतौर पर जो स्थानीय पत्रकार हैं जिन्हें स्ट्रिंगर कहा जाता है, वे गांव में रह कर खबरें लाते हैं। जब हम जगदलपुर में थे तो चंद्राकर जी हमसे थोड़ा सा वाकिफ थे और वे जानते थे कि हम गरीबों का फ्री में केस लड़ते हैं। वे बस्तर की एक तहसील है दरभा, वहां पर रहते थे। यह इलाका माओवादी प्रभाव वाला है। और मुझे याद है कि तभी वो घटनाएं घट रहीं थी। वहां पर एक गांव था जो काफी अंदर का अंदरूनी गांव था। वहां से पहले पांच लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई। उनके परिवार वालों को हमारे यहां लाया गया था। हमने उनकी कहानी सुनी। जैसे सामान्य तौर पर होती है कि गांव से पुलिस पकड़ कर ले जाती है और जब एफआईआर होती है तो उन्हें कहीं और से पकड़ा हुआ दिखाया जाता है। इन पर आईओए- लगा हुआ था। फिर कुछ समय बाद और पांच और लोगों का उठाना हुआ उस गांव से। यह सब उसी एफआईआर में दर्ज है। ऐसा हो रहा है वहां पर और यह कल्लूरी (बस्तर के आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी) का समय था और फिर थोड़े समय में देखते है कि कल्लूरी ने वहां पर दरभा में बहुत बड़ी सी सभा की है। हजारों गांव वाले आएं हैं। उसी गांव

से जहां से लोगों को पुलिस उठा कर ले जा रही है, वहां से लोग आए हैं और खबर यह छपती है कि गांव वाले पुलिस के पास आए हैं, अपनी सुरक्षा के लिए। यह कहा जा रहा है कि वह पुलिस से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहां पुलिस लोगों को साड़ी और कंबल बांट रही है। कल्लूरी जी वहां खुद मौजूद हैं और यह सब बांट रहे हैं। उसके दूसरे दिन संतोष को पकड़ा जाता है उसी केस में, जिसके लिए वह हमारे पास लोग ला रहा था। और फिर वही समझ आता है कि जब हम उससे जेल में मिलते हैं तो वह बताता है कि दीदी ऐसा कुछ नहीं था। यह लोगों को बोला गया था कि आप दरभा जाओगे, वहां पर पुलिस वाले आ रहे हैं, आप वहां पर जाओगे तो शायद आप उनसे बात कर सकोगे कि आपके लोगों को छोड़ा जाए।

उस प्रेरणा से वह लोग वहां पर आए थे। मगर वहां पर जो रिपोर्टिंग होती है, मतलब वह भी पत्रकार, संतोष यादव भी पत्रकार, पर बाकी लिखने वाले भी पत्रकार। मगर जो खबर आती है वह यही आती है कि सब लोग अपनी सुरक्षा के लिए वहां गए थे और वह बहुत खुश हैं क्योंकि उनको साड़ी और कंबल मिले हैं। कोई नहीं बोलता कि इनके लोग, इनके परिजन जेलों में बंद हैं, उनको छुड़ाने के लिए ये लोग जा रहे हैं और उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। जो बातचीत करना चाह रहा है, उसको खुद आपने उसी केस में जेल में बंद कर दिया है। खैर, इसे लेकर वहां पर तब एक पत्रकारों का आंदोलन भी हुआ। हमारे साथ एक घटना घटी, उसकी शुरुआत भी मालिनी जी (द स्क्रोल की पत्रकार) के साथ जो घटना घटी उसके साथ ही हुई थी।

हां, तो तब वहां एक एन्काउंटर हुआ था, वहां पर मालिनी जी भी गई थी। तब अक्सर लगातार एन्काउंटर हो ही रहे थे और उन्हें लोग कवर कर ही रहे थे। तब सोनी सोढ़ी भी गई थी, मालिनी जी भी गईं थी उस एन्काउंटर को कवर करने के लिए। तब वहां पर सामाजिक एकता मंच करके एक ग्रुप भी पैदा हो गया था, जो बाद में पता चला कि पुलिस ने ही उसको पाला पोसा था। उस ग्रुप ने वहां पर शहर में एक दबदबा बना रखा था और वह तब, जुलूस निकालते थे कि यह जो माओवादी समर्थक लोग हैं, उनके पुतले जलाते थे, उसमें पत्रकारों और अर्बन नक्सल कहकर हमारे जैसे वकीलों के पुतले जलाए जा रहे थे। उसी दौरान मालिनी जी जो कि पत्रकार थी, उनके घर को लोग घेर लेते हैं और उस पर पथराव होता है। मतलब वे नारे लगाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और फिर बीच रात में वहां पर पथराव होता है और उनकी गाड़ी का शीशा है वो टूटता है। वो इससे डर गईं और उन्होंने कहा चलो इस पर हम शिकायत दर्ज कराते हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराने में हमारी सहायता मांगी और हमें उसकी शिकायत करने में जो 10 दिन लगे, वो मतलब जो भय का वातावरण यहां से लेकर वहां तक हो गया था।

इस बीच क्योंकि उनकी जुर्रत थी कि इसके खिलाफ वो शिकायत करें, उनके आस-पास जितने भी लोग थे, उनको डराया गया कि यदि इनको आप यहां पर रहने दोगे तो आपके साथ और भी गंभीर, वाक्या होंगे। उनके जो मकान मालिक थे वे रायपुर में रहते थे, उनको रायपुर से आठ घंटे दूर बुलाया गया कि आप उनको निकालो अभी, नहीं तो हम आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, हम जो वकील थे, जो कोशिश कर रहे थे कि शिकायत दर्ज हो जाए, हमारे मकान मालिकों को भी उठाया गया और उनको बोला गया कि इनको निकालो, हमको रातोंरात मकान खाली करने का नोटिस मिला, यहां से निकलो। ■

*लिप्यांतरण- **प्रवीण डोगरा***

(दिल्ली स्थित जवाहर भवन में नीलभ मिश्र की स्मृति में आठवीं व्याख्यानमाला में बस्तर की पत्रकारिता पर हुए संवाद पर आधारित यह भाषण है।)

शालिनी गेरा मिड़ियामी की वकील है।

बस्तर पर आशुतोष भारद्वाज और मंकू जी

आशुतोष भारद्वाज, बस्तर में जो लोकल रिपोर्टर्स जो बस्तर में रहते हैं और काम भी करते हैं, उनकी एक बिल्कुल अलग तरीके की समस्या है। नेशनल मीडिया का क्या रोल है इस इश्यू को कवर करने में? इस बारे में मैं अपने अनुभव से यही कह सकता हूं कि जब आप दिल्ली से वहां रहने जाते हैं तो नेशनल मीडिया के वे दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो वो जो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, बस्तर के रहने वाले हैं और वहां से ही रिपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे वे जो कोई घटना होने पर पैराशूट अंदाज में वहां जाते हैं और दो-चार दिन में लौटकर आ जाते हैं। बस्तर का जो स्थानीय पत्रकार है, आदिवासी भी और गैर-आदिवासी भी, वो कथित नेशनल मीडिया को बड़ी उम्मीद से देखता है। उसमें ईर्ष्या भी है और कहीं न कहीं यह उम्मीद भी है कि शायद हमारी आवाज जो सिर्फ बीजापुर, सुकमा या रायपुर तक सीमित रह सकती है, उसे ये लोग राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं। कई सारे अवसरों पर ऐसा होता भी है। जो लोग बाहर से रिपोर्टिंग करने आते हैं, वे ईमानदार होते हैं, निष्ठावान होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। वे एक खास एजेंडे के तहत आते हैं। वो हड़बड़ी में आते हैं और उनके अपने सवाल पहले से तय होते हैं। उनके 10 सवाल सेट होंगे। 10 सवाल के अलावा 11वां, 12वां या 5ए, 5बी, 4ए, 4सी जैसे सवाल उनके सिलेबस में ही नहीं हैं। अगर आप उन्हें बताने की भी कोशिश करेंगे तो वो बोलेंगे, हां-हां ठीक है, ठीक है, हो गया। यानी उन्हें जो ब्रीफ किया गया है, उन्हें उतना ही करना है।

यह बस्तर के नागरिकों और पत्रकारों की जिंदगी को त्रासद बना देता है। क्योंकि वे बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं कि यह हमारी स्थिति को आगे तक बताएंगे। पहले तो आप यह देखिए कि अपेक्षा रखना ही कितनी त्रासदी है और कितनी बड़ी विडंबना है। कितनी ट्रैजेडी है कि पत्रकारों का एक समूह, पत्रकारों के दूसरे समूह पर आश्रित है कि वे उनकी आवाज को आगे बढ़ाएंगे। यह कितना अधिक भेदभावपूर्ण भी है, जबकि काम तो यही लोग करते हैं।

एक और बात बताऊंगा कि जब वे उम्मीद या उपेक्षा की बात करते हैं, और चूंकि मैंने बहुत समय तक काम किया है तो मैं एकदम दावे से कह सकता हूं कि बस्तर से कोई भी पत्रकारिता जिसे नेशनल मीडिया भी करता है, वो बगैर स्थानीय पत्रकारों की मदद के और उनके मार्गदर्शन के असंभव है। जो पत्रकार वहां महीनों रहे हैं और जिनके पास स्टोरीज ताजा हैं, दस्तावेज ताजा हैं, ऐसे गिने चुने या एकाध ही होंगे। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी अवॉर्ड विनिंग स्टोरीज हैं जो स्थानीय रूप से ही उठती हैं और उन्हें कभी श्रेय नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा कि उनकी उम्मीदें भी अधूरी रह जाती हैं।

भारतीय सत्ता और आदिवासियों माओवादियों के बीच में जो जंग चल रही है, उसके बीच यह पूरा सेटअप एक त्रासद लकीर की तरह खिंचा हुआ है।

इसके बीच में पत्रकारों का एक तबका और है जो अपने आप को निष्ठावान मानता है, ईमानदार मानता है और जो दिल्ली के नेशनल मीडिया से वहां गया हुआ है और जो चाहता है कि मैं इस जमीन की, जंगल की, आदिवासी की समस्या है, उसे सही रूप में बता सकूं। उस पत्रकार के भीतर एक अलग तरह का गिल्ट हमेशा पैदा होता रहता है, अगर वो निष्ठावान है तो। किस तरह का गिल्ट? उसकी जो प्रिविलेज है और उसने जो बायस्ड (पूर्वाग्रह) से लिखा है, उसे लेकर उसको हमेशा गिल्ट रहता है। उसे पता है कि वो प्रिविलेज की पोज़िशन (पृष्ठभूमि) से आ रहा है या आ रही है और वो भयंकर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। लेकिन वो करे क्या? उसे अंततः उसी को दर्ज करना है। उस पत्रकार का पूरा जीवन बस्तर में अपने इन पूर्वाग्रहों से लड़ते हुए बीतता है। तो आप देख सकते हैं कि बस्तर रिपोर्टिंग का कितना त्रासद जोन है।

अभी मंकू भाई (मंच पर बैठे आदिवासी पृष्ठभूमि के स्थानीय पत्रकार) ने कहा कि हम आदिवासी बहुत कम बोलते हैं। ऐसे जो शांत व्यक्ति हैं, जो शांत प्रजाति है, शांत समुदाय है, उस पर लिखना है हम लोगों को। उसके बारे में कैसे लिखा जाए? यह अपने उत्तर तक नहीं देते हैं। आप उनके साथ घंटों रहेंगे, दिन और हफ्ते बिताएंगे लेकिन उनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं। जबकि आपकी पत्रकारिता की ट्रेनिंग बताती है कि आप नोटबुक लेकर जाएंगे, उससे नाम, उम्र, घर, गांव, तमाम चीजें पूछेंगे, और बहुत सारी चीजें उसकी शब्दावली में नहीं हैं और आप जब वहां जाएंगे तो एक अनावश्यक शब्दावली और ज्ञान पद्धति से उसको देखने की कोशिश करते हैं इसीलिए बस्तर पर ढेर सारी रिपोर्ट्स अधूरी रहती हैं।

एक तुलना करने की हिमाकत करूंगा मैं, हालांकि तुलना हो नहीं सकती हैं कि कश्मीर भी एक ट्रैजिक जोन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कश्मीर की त्रासदी को, कश्मीर की कहानी को, कश्मीर के सत्य को बताने के लिए कश्मीरी आवाज है। कश्मीर की त्रासदी को बताने के लिए कश्मीर को दिल्ली पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। कश्मीर की अपनी आवाज है जो दिल्ली में और यूरोप व अमेरिका के प्रमुख संस्थानों में बैठी हुई है। लेकिन बस्तर की कोई आवाज नहीं है। पुष्पा जी (मंच पर साथ में बैठी पत्रकार) अगर कहती हैं कि मैं अकेली महिला पत्रकार हूं।(वहां से), तो आप इस वाक्य में बस्तर की त्रासदी को देख सकते हैं। बस्तर का दुर्भाग्य यह है कि उसकी अपनी आवाज नहीं है और बस्तर अपने आप को ऐसी जगह पाता है जहां उसे अपनी आवाज की

सबसे अधिक जरूरत है। उसे बाहरी आवाज की, या मेरी या किसी और की आवाज की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी आवाज नहीं है और उस पर आरोपित खबरें, सुपर-इम्पोज्ड खबरें थोपी जा रही हैं। यह बस्तर में रिपोर्टिंग की बहु-आयामी त्रासदी है।

मंच के संचालक ने पूछा वर्ल्ड प्रेस रैंकिंग में भारत का स्तर बहुत गिर गया है। 2024 में भारत 180 देशों में 159वें पायदान पर था। अगर हम बस्तर और कश्मीर जैसी जगहों पर प्रेस फ्रीडम को मापने की कोशिश करेंगे तो वो 200 में से -6000 में आएगा। ऐसा कई वजहों से है। प्रेस पर मौजूद खतरों के चलते या फिर, जिस तरह की खबरों को दबाया जा रहा है उस लिहाज से। बस्तर में पिछले 20 सालों के संघर्ष के चलते जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, उनमें से एक है कि उस क्षेत्र के लोगों के नाम अब लोगों के बीच आम हो गए हैं। लोग परिचित होने लगे हैं ऐसे नामों से और बस्तर के संघर्ष से। बस्तर के बारे में हम जो जानते हैं वो सिर्फ संघर्ष के चश्मे से जानते हैं। बाकी वहां जो भी हो रहा है, उसे रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। वहां पोचिंग हो रही है। वहां की जो डीआरजी है, जो कि अवैध बल है वो पोचिंग में शामिल है। लकड़ियां काटी जा रही है। होटल नष्ट किए जा रहे हैं। पुराने स्मृति पत्थर चुराए जा रहे हैं। भाषा बदल रही है। नृत्य बदल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लोग प्लास्टिक वाला चावल खाकर मर रहे हैं। तरह-तरह की सूजन और बीमारियां हो रही हैं। लोग समझा नहीं पा रहे हैं कि क्यों उनके यहां इतनी बीमारियां हो रही हैं। अगर कोई और जगह होती जहां इतना संघर्ष न होता तो इनमें से बहुत सी खबरों को रिपोर्ट किया जाता। अगर और आदिवासी पत्रकार होते तो ऐसी खबरें सामने आतीं। मंकू जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह की खबरें दब रही हैं? अगर आपको स्वतंत्रता होती तो आप किस तरह की खबरें करना चाहते? इसके जवाब में मंकू ने कहा कि इंदिरा गांधी के जमाने में वहां पर हैंडपंप पहुंच चुके थे। सारे सिस्टम वहां होने के बाद आज भी पानी वहां पहुंच नहीं पाया है। हैंडपंप खराब हैं, तो खराब हैं।

पहले स्कूल बन रहे थे और भी स्कूल बन रहे हैं। ये सब मामले दब रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। अगर यह सच हम लिखें कि वहां फर्जी तरीकों से स्कूल को बंद किया जा रहा है। हम होते तो यह लिखते कि इस बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। फर्जी केस बनाकर जेल में डाला जा रहा है। आपको सच के साथ, सच बोलने और लिखने वालों के साथ खड़े होना चाहिए। ये खबरें लिखी जाएं तो वहां के लोगों के काम आएंगी। वहां के बच्चों को भी लाभ मिलेगा।

मैं (आशुतोष भारद्वाज) इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि मुकेश चंद्राकर का मामला आपको पता होगा। जनवरी में अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई थी। यह सबको पता है लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो कम लोगों को पता होगा। अगस्त में बस्तर के चार पत्रकारों को, सुकमा के दक्षिणी छोर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

क्यों लिया गया था? पुलिस के अनुसार उनकी गाड़ी से ड्रग्स मिले थे। जबकि सच यह था, जो वहां के स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि ये चार पत्रकार वहां हो रहे अवैध खनन पर रिपोर्ट करने आए थे। इस माइनिंग के लिंक बीजेपी के स्थानीय नेताओं से थे। जब ये लोग अरेस्ट हुए तो मैंने दिल्ली में मुकेश चंद्राकर और सुकमा के एक पत्रकार राजा राठौड़, इन दोनों से एक स्टोरी कमीशन करवाई थी। मैंने उनसे कहा कि आप इनवेस्टिगेट करो और सभी पक्षों से बात करके अच्छे से लिखो कि आखिर हुआ क्या था। और उन्होंने हमारे लिए एक लंबी सी रिपोर्ताज लिखी, जिसे हमने छापा। यह कोई ओपिनियन पीस नहीं था। इसमें बताया गया था कि कैसे चार पत्रकार वहां गए थे, कहां रुके थे, कैसे पुलिस के कहने से सीसीटीवी फुटेज को नष्ट किया गया, कैसे ड्रग्स को प्लांट किया गया। यह खबर जैसे ही छपी तो उसके कुछ ही देर में मेरे पास मुकेश चंद्राकर का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा कि इस खबर के छपने के बाद उसके (मुकेश) के पास छत्तीसगढ़ के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर (आईपीएस) ने एक मैसेज भेजा था जिसका टोन नाखुशी भरा था कि आपने ऐसा आखिर क्यों लिखा। उसका स्क्रीनशॉट मुकेश ने मुझे भेजा था जो आज भी मेरे पास है और वक्त आने पर कभी मैं उसका प्रयोग करूंगा उस आईपीएस के बारे में लिखने के लिए। मुकेश ने डरी हुई आवाज में मुझसे पूछा था कि अब कुछ होगा तो नहीं न? मैं बताना यह चाह रहा हूं कि जब अवैध खनन पर ये लोग रिपोर्ट करने जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, झूठे केस में फंसाकर या फिर जब उस पर स्टोरी करवाते हैं तो जिन्होंने स्टोरी की है उसको पुलिस की ओर से धमकाया जाता है।

और यह कोई संयोग नहीं है कि उसके चार महीने बाद मुकेश की हत्या हो गई। इसमें आप एक कड़ी देख सकते हैं। एक तरीके से जो पूरा सिस्टम है वहां, ब्यूरोक्रेसी और ठेकेदार वगैरह का वो दंड के किसी भी भय से मुक्त होकर, एक सेंस ऑफ इम्प्युनिटी के साथ ऑपरेट करता है कि भई जर्नलिज़्म तो हमारे रहमो-करम पर है। उसको वही छापना होगा जो हम लोग बोलेंगे। आप पूछ रही थीं कि, कौन सी खबर आनी चाहिए वहां से तो उसका जवाब यह है कि पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ तो सिर्फ एक खबर है, और निश्चित ही वो बड़ी खबर है। लेकिन नेशनल मीडिया का एक तरह से जो यह फिक्सेशन और अस्वाभाविक रुचि है कि हिंसा ही खबर है, उसकी आड़ में यह एकदम दब जाता है कि वहां नदियां कैसे खराब हो रही हैं। मसलन, दंतेवाड़ा की शबरी नदी से पानी कैसे निकाला जा रहा है। उस नदी में माइनिंग का बेहिसाब कचरा जा रहा है जिससे वो लाल हो गई है। कैसे वहां माइनिंग से तबाही हो रही है, इस पर बहुत कम खबर है। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर जो पन्ना आप दिखा रही हैं वो उस माइनिंग के खतरे पर होता। ये स्टोरीज हैं जो बस्तर से आनी चाहिए। ■

*लिप्यांतरण- **गजेंद्र सिंह भाटी***

(यह प्रस्तुति दिल्ली स्थित जवाहर भवन में नीलभ मिश्र की स्मृति में आठवीं व्याख्यानमाला में बस्तर की पत्रकारिता पर हुए संवाद पर आधारित है)

** आशुतोष भारद्वाज पूर्व में छत्तीसगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता थे। इन दिनों द वायर (हिन्दी) के संपादक है। मंकू जी स्थानीय संवाददाता है।*

बस्तर की खबर को बाहर लाना बहुत कठिन काम है

पुष्पा रोकड़े*

बस्तर में बहुत कुछ है लिखने को, जानने को। क्योंकि बस्तर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। बैलाडीला लोहे की खदान है, जो लाखों लोगों को पालता है। आप सभी जानते हैं कि एनएमडीसी का जो पैसा है, वो तीन जिलों को मिलता है दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा।

मैं अपने बीजापुर के बारे में बात करूंगी क्योंकि उसको मैं बेहतर जानती हूं। तो हमारा एरिया जो है गंगालूर। गंगालूर एरिया बीजापुर में ही आता है। बीजापुर का जो गंगालूर एरिया है, वो पुसना गांव का 13 नंबर गेट बैलाडीला का और 5 नंबर, तो ये उस गांव में आते हैं, जिसको लेकर अभी पिछले साल से एक युद्ध स्तर पर ये सड़क बनना शुरू हुई। जो यह नेलसनार से गंगालूर तक बनना था जो बाईपास है और ये बाईपास 1980 की सड़क है। उस समय लोग जब बांस निकालते थे, उस समय वो कच्ची सड़क थी और कुछ दूर तक थी, पूरी सड़क नहीं थी। उस सड़क को बनाने की योजना बनी क्योंकि माइनिंग करना है उनको, और कारखाना डालना है तो माल निकालने के लिए सड़क चाहिए। ये वही सड़क है जिसको लेकर पत्रकार मुकेश रिपोर्ट कर रहा था। वह काफी दिनों से उस पर लगा हुआ था। वो जो ठेकेदार है वो टुकड़ों में काम कर रहा था, एक्चुअल में 2015 में उसका टेंडर आया था। तो कुछ लोगों ने लिया, कुछ ने नहीं लिया तो उन लोगों को लगा कि इसे टुकड़ों में बनाना चाहिए। तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर करके वो 52 किलोमीटर तक की सड़क को एक ही ठेकेदार को दे दिया गया। क्योंकि वो कुछ दूर बनाया और अच्छा बनाया बेजापाल तक। और अच्छी बात ये है कि बेजापाल के ग्रामीणों ने एक आंदोलन छेड़ रखा था कि यह सड़क हमें नहीं चाहिए। क्योंकि ग्रामीण चाह रहे थे कि पहले सरकार हमें आंगनबाड़ी, स्कूल और अस्पताल दे और उसके बाद सड़क दे चलेगा। लेकिन पहले सड़क नहीं चाहिए। एक आंदोलन शुरू हुआ। फिर उसी रास्ते में बुर्जी जो गंगालूर को टच करता है, वहां एक आंदोलन शुरू हुआ। उस सड़क निर्माण के दौरान काफी सारी चीजें हुईं। आईईडी ब्लास्ट हुआ, 4-5 जवान शहीद हुए और लोगों के हाथ-पैर टूटे, 2 सिविलियन भी मरे। इस तरह की घटनाएं उस सड़क पर हो रही थी तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने 10 कैंप लगा दिए। हर 5-6 किलोमीटर पर एक-एक कैंप लगा दिए। तकरीबन 4500 जवान उस सड़क को तैयार करने में लग गए और वो सड़क इतनी घटिया बनी है कि एक पुलिया थी, वो 6 महीने में गिर गई और इस पुलिया को लेकर 3-4 महीने पहले मुकेश ने रिपोर्टिंग की थी। वो थोड़ा-सा था, ज्यादा कुछ नहीं था।

अभी वो दोबारा जब स्टोरी हुई तो वो पूरी सड़क को लेकर थी। क्योंकि 52-53 पुल-पुलिया उस सड़क पर बने है, वो काफी घटिया है। वो कहीं भी ठीक-ठाक नहीं है क्योंकि मैंने भी जाकर उसको देखा। मुकेश की हत्या होने के बाद उस सड़क को इस तरह खोल दिया गया है कि कोई भी पैदल या साइकिल से या जैसे जाना चाहे जा सकता है, आपको कोई पूछेगा नहीं।

लेकिन उस सड़क पर हम रिपोर्टिंग के लिए 20 बार गए होंगे तो हमें 50 बार पूछा गया। अपना आइडेंटिटी दिखाओ, आप कहां से आ रहे हो? क्या नाम है आपका, अपनी फोटो खिंचाइये, आपकी गाड़ी की फोटो खिंचेंगे। मतलब ये कि मैं एक चोर हूं, पत्रकार नहीं हूं। अपनी आईडी दिखाने के बाद भी। उस रोड पर पुलिस का इस तरह का बर्ताव होता था। जिस दिन ये सारी चीजे आई और अब जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से हमारी बहस होती है तो हम खुद बोले कि क्यों सर, 'अब आप हमको उस सड़क पर जाने देंगे या नहीं, तो उनका जवाब होता है कि अभी आपको कौन रोकेगा।' क्योंकि अब हमारी एक तो बलि हो गई ना? और कुछ करना बाकी है। यह तक हुआ, मुकेश की अर्थी रख करके और 6-6 घंटे चक्का जाम किया। उस दिन हमारी जिला प्रशासन से जो बहस हुई थी, वो बता रही हूं आपको। मतलब हमको इतना सब कुछ करना पड़ा, हमारे अपने साथी के लिए। वो क्यों, वो सड़क तो सबके लिए थी किसी एक के लिए नहीं थी। वो अगर भ्रष्टाचार को सामने ला रहा है तो प्रशासन को और सबसे पहले नेताओं को जगना चाहिए।

जब वो खबर चली थी 20 तारीख को और 20 से 25 तारीख के बीच इतनी खलबली मची थी कि किसी ने भी इस बात को जाहिर करने नहीं दिया कि मुकेश के साथ कुछ हो सकता है। उन 5 दिनों में ठेकेदार पर अधिकारियों और नेताओं का इतना दबाव आया कि वह सीएम हाउस तक दौड़ा। और फिर अचानक से वो 31 तारीख को मुकेश को बुलाता है, तो मुकेश बोलता है कि वह थर्टी फर्स्ट मनाने में अपने दोस्त के साथ बीजी है, तो मैं नहीं आऊंगा और जब वो 1 तारीख को गया तो वह लौटकर नहीं आया। और 1 तारीख को जब वो गया तो किसी को मालूम भी नहीं था कि वो गया है। हम लोगों को 2 तारीख को 5 बजे पता चलता है कि मुकेश का फोन कल से नहीं लग रहा। वो भी तब जब उसका एक एडिटिंग करने वाला लड़का है, उसके घर में रहता है, उसको जब मुकेश का फोन नहीं आया तो उसको लगा कि आज भईया का फोन क्यों नहीं आया, क्योंकि भईया तो दिन में 5 बार फोन करते हैं तो उसने उसे (मुकेश) फोन लगाया, उसके तीन-चार नंबर पर तो कोई फोन नहीं लगता है। तो वह बहुत डर गया तो उसने उसके बड़े भाई को बताया कि आज मुकेश भईया का फोन नहीं आया और मुझे डर है कि उनके साथ कुछ हो गया है। उसने एकदम साफ-साफ बोला। तो मुकेश के बड़े भाई ने कहा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब उस लड़के ने बोला नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भईया कुछ परेशान थे और आज उनका फोन नहीं लग रहा और वो मुझे फोन भी नहीं कर रहे क्योंकि वो मुझे दिन में 4 बार फोन करते थे, आज दिन में एक बार भी फोन नहीं आया। उसके बताने के कारण, हम सब रात 12 बजे तक थाने में बैठे रहे और थाने से 2 टीम जाती है, ढूंढती है और ठेकेदार को भी बुलाते हैं जिस कंपाउंड में मुकेश की बॉडी मिलती है। तो ठेकेदार वहां आता है, 17 क्वार्टर थे वहां पर, वो अपने साथ 5 चाबी लेकर आया। 2-3 का ताला तोड़ा और 5 चाबी से खोला। और बोला यहां कुछ नहीं है, चलते हैं। वहां कुछ ताजा-ताजा कंस्ट्रक्शन का काम था तो हमने पूछा जिस पर उसने कहा हमने मजदूरों के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था तो कुछ है नहीं।

तो अगले दिन हम कुछ 4-5 पत्रकार उस जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि यहां आखिर हुआ क्या था? तो वहां 2 लड़कियां कोने में खड़ी थी तो मैंने उनको बुलाया और पूछा कि, 'ये कब काम हुआ तो उन्होंने बताया यह कल काम हुआ। कितने लेबर आए थे तो उन्होंने बताया 22-23 लेबर आए थे और इसका मसाला बाहर से आया था।' तो हमने पूछा इतनी सी टंकी में 22-23 लोग लग गए, तो उन्होंने बताया कि पता नहीं हम लोग दूर खड़े थे। हमने देखा कि वहां सैप्टिक टैंक है, पुराना है, पर वहां ढक्कन नहीं था। तो मैंने बोला कि ढक्कन नहीं है ऐसा क्यों? लड़कों ने भी देखा और फिर बोले कि कुछ तो गड़बड़ है तो हमारे साथियों में एक पत्रकार हैं जिन्होंने गूगल की मदद से मुकेश का फोन ट्रैक किया। पुलिस हमें रात से बोल रही थी कि उसका मोबाइल तुमरा रोड पर बंद हुआ, एक घर के पास बंद हुआ ऐसे बता रही थी। वो रात को ही बोला दीदी ऐसा-ऐसा है। तो 2 चीजे हमको मिली और तीसरी चीज ये कि जिन लड़कों के साथ मुकेश उसी कंपाउंड में बैंडमिंटन खेलने जाता था। उन्हीं लड़कों ने बताया कि ये सेप्टिक टैंक काफी दिनों से खराब था और टूटा फूटा था। तो फिर हम कन्फर्म हो गए कि कुछ तो गड़बड़ है। जब हमने एसपी को बोला तो उन्होंने कहा कि आप हमारे काम दखल दे रहे हैं, आप हमें बताओगे कि

हम कैसे छानबीन करेंगे। तो हमने आईजी सर को फोन लगा दिया और कहा कि सर अगर आप चाहे तो ऐसा हो सकता है। आप बोलेंगे तो पैसे भी दे देंगे, बस आप ये टंकी तुड़वा दीजिए। बस एक बार हमारी तसल्ली के लिए। उन्होंने बोला ठीक है। इतना तो है कि बस्तर आईजी बात कर लेते हैं और सुन लेते हैं। तो उन्होंने तुरंत एसपी को फोन लगाया। उस दौरान एसपी ने यूकेश (मुकेश का बड़ा भाई) को डांटा और कहा आप हमें उच्च अधिकारी से डांट खिलवा रहे हो। आप हमें बताओगे कि कैसे जांच करते हैं? यूकेश का भाई गुमा है और वो टेंशन में भी था तो उसने बोला ठीक है सर, ठीक है, उसने फोन रख दिया।

10-12 पत्रकार वहां बैठे हुए थे धरने पर, कि आज तो टैंक ये तोड़े या हम, चाहे जो हो जाए। तो 1 घंटे बाद टीआई अपनी टीम के साथ पहुंचे। फिर एक जेसीबी आई, तहसीलदार भी पहुंचे। जेसीबी वाला डरते-डरते 4 धक्के टैंक पर मारा तो मुकेश की बॉडी नजर आई। जैसे ही टीआई ने उसको देखा, वो ऐसे देख रहा था कि कहीं ये लोग (पत्रकार) मुझे मारने न लगे और उसने फोटो लिया और चुपचाप खड़ा हो गया। तो सब पत्रकार जा रहे हैं, देखने के लिए तो टीआई ने कहा कि आप जाना नहीं, उधर। वो भी डर गया था क्योंकि अब तो पत्रकारों का झुंड है और हमसे लड़ रहा था, हम खोदने नहीं दे रहे थे। सिटी कोतवाली से महज 200 मीटर दूर इतनी बड़ी घटना होती है और उस पर किसी का कोई रिएक्शन नहीं होता है। सरकार के किसी अधिकारी ने न तो एसपी को हटाया और न टीआई को हटाया। मतलब सुरक्षा को लेकर किसी ने कहीं कुछ कदम नहीं उठाया जिससे बीजापुरवासियों को यह लगे कि हां हम सुरक्षित हैं। वो बोलते हैं न कि हमारे पास बहुत सारा सूचना तंत्र है तो कैसे इनको पता नहीं चलता कि 20 तारीख को यह खबर चलती है और मुकेश के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अगर ग्रुप में पत्रकार ज्यादा कहीं बैठ रहा है तो मुझे लगता है कि उनको खबर लग जाती होगी कि आखिरकार पत्रकारों के बीच क्या पक रहा है? क्या हो रहा है? और वो खबर उनको पता लगी नहीं। और महज 200 मीटर दूर उसकी बॉडी मिलती है तो वह मंजर बहुत ही बुरा था। मेरे पति की तो एसपी से लड़ाई भी हो गई थी। साढ़े सात बज गए थे हम वहीं बैठे रहे जब तक कि उसकी बॉडी को टैंक से निकाला नहीं गया और अस्पताल नहीं छोड़ा गया। फिर अगले दिन सुबह हमने चक्का जाम किया। आज तक मैं तो यही चाहती हूं कि उसको न्याय मिले। क्योंकि भ्रष्टाचार की खबर को लिखने के लिए इतनी बड़ी सजा अगर उसे मिली है तो वो सारे पत्रकार दिल्ली तक के, इस तरह की खबरों को रोज लिखना चाहिए, कितने ऐसे भ्रष्टाचारी हैं एक दिन तो थकेंगे। कितने पत्रकारों को मारेंगे वो। एक दिन तो थकेंगे न या तो पत्रकारों को मारना छोड़ देंगे या भ्रष्टाचार छोड़ देंगे। कुछ तो होगा अलग। इस तरह आप किसी की आवाज को बंद कर अपने किए कर्म को छुपा नहीं सकते।

एक सड़क को बनाने के लिए फॉरेस्ट, ग्रामीणों की जमीन, उनका घर, उनका खेत आप ले लिये। उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता है क्योंकि वो पढ़े-लिखे नहीं है, वो आदिवासी है, एकदम भोले हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है कि यह मेरी जमीन है और मैंने इसका तो पट्टा बनाया नहीं है। फिर भी ये सड़क में जा रहा है तो ठीक है मेरे बच्चे चलेंगे, गाड़ी आएगी, बस आएगी तो मैं भी उसका उपयोग करूंगा। ये उसकी अच्छी सोच है। मैंने कई लोगों से बात की तो उन लोगों का कहना यही था कि हमारी जमीन तो चली गई, चलो अच्छा है, हमारे बच्चे तो पैदल नहीं चलेंगे। हमें जितना चलना था हम चल लिए बैलगाड़ी में। अब तो उनको मोटर साइकिल की जरूरत है। कई जगहों पर ठेकेदारों ने भी बोला कि हम पैसा देंगे और उनको कोई पैसा नहीं मिला। एक ग्रामीण का तो पूरा 6 एकड़ में कैंप बन गया। उसके 25 महुआ के पेड़ हैं। बेचारा कैंप के बाहर जाकर देखता रहता है। उसे अंदर एंट्री तक नहीं मिलती। वो 25 महुआ के पेड़ उसके लिए कितने महत्वपूर्ण है, वो एक आदिवासी ही जानता है। क्योंकि उस महुआ के फूल से उसका घर चलता है। महुआ का फूल इस सीजन मार्च में आता है, वो इकट्ठा करता है और उसे बेचता है। शराब बनाकर बेचता है और उसके फल के बीज से तेल निकालकर खाता है। वो हमारे जैसा रिफाइंड नहीं खाता, वो टोरा का तेल खाता है। तो उसके लिए वो कितना जरूरी है, वो सिर्फ वही जानता है। क्योंकि जब बच्चा (वह) पैदा होता और मरता है तब तक के लिए वह पेड़ उसके काम आता है और वो 25 पेड़ उसके अंदर चले गये, जो कि उसके लिए साल भर की आय है।

आप सोचिए वो इस आवाज को बोल नहीं सकता। वह कहीं भी 10 जगह भी जाएगा न तो भी वो कैंप तो खाली होना नहीं है और न ही उसे महुआ बीनने को मिलना है। तो इस तरह के दर्द को लेकर एक मूलवासी बचाओ मंच बनाया था। अपनी खबरों को लेकर वो बाहर आता था, गांव की समस्याओं को लेकर बाहर आता था, कहता था। जैसे ही सरकार बनती तो सरकार उसको गैर-कानूनी संस्था बताकर उस पर बैन लगा देती है एक साल के लिए। वो कोई रजिस्ट्रेशन संस्था थोड़ी न थी कि आप उस पर बैन लगा रहे हो। अरे भाई वे ग्रामीण युवक-युवतियां है। जो अपने हर गांव की समस्या को बाहर बता रहे थे कि हमें ये परेशानी है। हमको पानी चाहिए, खाना चाहिए, यही तो मांग रहे थे न और आप तो यही देने के लिए बैठे हो न। तो फिर आप उसे गैर-कानूनी संस्था बता दिए। इतना कुछ हो रहा है लेकिन इस पर कोई बोलता नहीं है।

60 बच्चे है जो आज जेल में हैं। जिन पर पुलिस ने अलग-अलग आरोप लगाए हैं। कभी कोई सड़क खोदता मिला, कोई आईईडी लगाता मिला लेकिन कभी लगाता हुआ फोटो भी नहीं होगा उनके (पुलिस) पास, सिर्फ बोलना और नामचा (दर्ज करना) में चढ़ाना, ये सारी चीजे हुई। उनमें से सुनीता कोटांबर और शंकर है, ऐसे और 60 बच्चे हैं जो आज जेल में हैं। ये सब बीजापुर, नारायणपुर, ओरछा और सुकमा ऐसे जगहों के बच्चे थे जो सिर्फ अपने दर्द को बताने के लिए एक मंच बनाए थे और उस मंच के माध्यम से अपनी तकलीफ को बताते थे कि कल पुलिस आई और हमारे साथ ये बर्बरता की और ये हमारे साथ हुआ। पर आज उस चीज को बताने के लिए कोई न हो, ये सरकार का एक बल्ब है इस पर रोशनी डालो, इनको हटा लो, सड़क बना लो और घर बना लो, जो चाहे आप कर सकते हो क्योंकि आप अनपढ़ हो, बिल्कुल आदिवासी हो, पता नहीं आपको वह किस नजर से देखता होगा, मैं किसी पार्टी को बोलना नहीं चाह रही क्योंकि पत्रकारों का मंच है। लेकिन हर चीज में मैंने देखा कि 5 साल में वही हुआ और 15 साल में भी वही हुआ।

इस समय वहां काम करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जब भी हम रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं। हमारे पास एक पुलिस-मीडिया ग्रुप है जहां से हमें यह पता चलता है कि सुबह-सुबह एक मुठभेड़ हुई है और पांच माओवादी मारे गए हैं। जब हमें ये पता चलता है तो उस समय हमारे पास लोकेशन नहीं होती है कि वो यहां हुआ है। काफी समय के बाद लोकेशन मिलती है, तकरीबन 6-7 घंटे के बाद। एग्जैक्ट लोकेशन तब आता है जब वो फर्जी होता है। वो भी घरवाले फोन करते हैं, कहीं से नंबर खोजकर। तो वहां तक पहुंचना हमारे लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि जंगल, पहाड़ और पैदल का रास्ता है और उस जगह पहुंचना, उनको सुनना, उनको जानना कि आखिरकार उस समय यहां हुआ क्या था। पुलिस कैसे पहुंची, कैसे मुठभेड़ हुई और वो लोग क्या कर रहे थे, कितने ग्रामीण थे, कितने माओवादी थे, ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस समय उनके परिवार जब तक आपके पास आएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं और उस चीज को आप लिखेंगे नहीं, तो ये चीजें बाहर नहीं आ सकती तो इसको करना बहुत कठिन है।

दूसरा हम पर तीसरी दृष्टि बनी हुई है आईबी की, तो वो बिल्कुल पता करके रखता है कि हां, अभी कौन सा पत्रकार किस रास्ते से कहां घुस रहा है, तो बस उसे दबोच लेता है, ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह से। क्योंकि अगर वो फर्जी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो इस तरह के हालात में हम लोगों को काम करना पड़ता है, कई बार तो फोन भी आ जाते हैं, थोड़ा रुक जाओ, अभी ब्रेकिंग मत चलाना या फिर चल गया है तो उसको मिटा दो, एसपी सर ने बोला है, बिल्कुल आप इसको हटा दो, ऐसे लोकल टूप में से कभी-कभी ब्रेकिंग भी हटानी पड़ती है। सच जानते हुए भी हम खबर नहीं चला सकते तो एक पत्रकार होने के नाते मन कचोटता है क्योंकि पैदल जाना, बगैर पानी के और पूरा दिन मेहनत करके किसी खबर को लेकर आना और उस पर भी आप पर इतना दबाव आना कि इस खबर को आपको बताना नहीं है। और इन सारी चीजों का सामना शालिनी जी ने भी किया है 2013 से। मैं और शालिनी जी कई रिपोर्टिंग में शामिल रही हैं। रिपोर्टिंग के दौरान उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है, जो मैंने देखा है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी इस फील्ड में कोई जगह नहीं है, चाहे वो बस्तर हो या कोई और जगह हो, शायद दिल्ली में होगी जगह, पर मुझे लगता है कि बस्तर में महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है, शायद इसीलिए मैं अभी तक अकेली हूं, मेरे पीछे कोई और महिला पत्रकार

नहीं आ पा रही है क्योंकि वो समझ रही है उस चीज को, कि पता नहीं कहां मेरी मौत हो जाएगी, कहां से मैं किडनैप हो जाऊंगी, कहां मेरा रेप हो जाएगा, कहां मेरे साथ क्या हो जाएगा, वो समझ रही है इस चीज को। वो करना भी चाह रही होगी कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि बस्तर बहुत खूबसूरत जगह है और यहां कि बातों को मुझे लाना है, लिखना है, बताना है, पर वो नहीं कर पा रही है क्योंकि वो समझ रही है इस चीज को और वो देख रही है। क्योंकि मेरे पीछे कोई महिला नहीं आ रही है तो उसको समझ में ये भी आ रहा है कि आखिर वो अकेली क्यों है। ये भी वो जान रही है।

आज की दुनिया में जितना फास्ट नेट है, उतना फास्ट तो कोई भी नहीं है क्योंकि एक मिनट में एक लाख लोग आपकी न्यूज को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं। वैसे मैं ऐसी जगह से हूं जहां बीस-बीस दिन नेटवर्क नहीं होता है। और 15 साल की बीजेपी की सरकार रही तो बहुत संघर्ष, बहुत लैटरबाजी के बाद हमको जियो का नेटवर्क मिला तब जाकर हम अपनी रिपोर्टिंग बता पाते हैं। वरना हमको फोन पर बताना पड़ता था, मैम हां, ये घटना हुई है आप इसे नोट करो, तो मैं लिखकर पढ़ती थी वो सामने वाला लिखता था, टाइप करता था। ऐसे समय में हमने पत्रकारिता शुरू की। आज तो खैर खुद मोबाइल पर टाइप करके लिखना और भेजना पड़ रहा है। इन सारी चीजों को मार्केट में लाने के लिए भी हमको जो आज मेहनत करनी पड़ रही है वो मेहनत बहुत ज्यादा है। और बस्तर में जो लोग रहते हैं और अंदरुनी क्षेत्रों में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार बस्तर में हो क्या रहा है, किस तरह चीजें बाहर नहीं आ पा रही है तो शायद यही कारण है। और मैं ऐसी जगह में हूं, उस जगह अभी तकरीबन 102 पत्रकार हैं, मैं प्रेस क्लब की सचिव भी हूं इस समय। तो मैं बता सकती हूं कि हर पत्रकार अपनी लिमिट पत्रकारिता में है, प्रेस नोट आता है, उस प्रेस नोट से जितना उसको लिखना है, लिखता है लेकिन उसके पीछे के रीजन को वो कभी नहीं जानना चाह रहा है कि आखिर वास्तविकता क्या है, आखिर वो जो प्रेस नोट आया है वो सच है कि इसके पीछे कुछ और सच है, इसको कोई भी अभी तक देखने का सोचता ही नहीं है। क्योंकि बस्तर इतना लाल हो चुका है कि उस लाल रंग को देखकर लोग डरने लगे हैं। भले वो पत्रकारिता ज्वाइन कर रहे हैं अलग-अलग अखबार या चैनल में। वो उनका शौक या बिजनेस करना चाह रहे हैं वो तो वही जानते हैं। पर बहुत कम लोग है 5-10 लोग होंगे जो इस तरह की पत्रकारिता करते होंगे। तो यह बहुत कठिन चीज है बस्तर की खबर को बाहर लाना।

*लिप्यांतरण- **सुनील गुप्ता***

**पुष्पा रोकड़े स्थानीय पत्रकार है।*

(दिल्ली स्थित जवाहर भवन में नीलभ मिश्र की स्मृति में आठवीं व्याख्यानमाला में बस्तर की पत्रकारिता पर हुए संवाद पर आधारित है)

Subscription Appeal for Mass Media and Jan Media

Mass Media/Jan Media is a first attempt of its kind to foster research culture in indigenous languages related to communication field. Our motto is "our society, our research".

We sincerely appeal to all, who are interested in serious and innovative readings, to subscribe this magazine as opting for lifetime or annual subscription it will enable this venture to be self-reliant. People are also requested to motivate their friends and acquaintances for this.

Interested persons can send their names, addresses and contact numbers either through a post-card or e-mail or SMS to the office of Mass Media/Jan Media.

The payment for subscription should be made either through cheque or demand draft in favour of "**Jan Media**" only. Alternatively, the payment can be deposited directly in the **"Jan Media" bank account no – 21360200000710, Bank of Baroda, Badli, (IFSC Code – BARB0TRDBAD) Delhi**.

Annual subscription	
Individual	: ₹ 360
Institutional	: ₹ 750
Subscription for 2 years	
Individual	: ₹ 700
Institutional	: ₹ 1500
Subscription for 5 years	
Individual	: ₹ 1500
Institutional	: ₹3500
Lifetime Subscription	
Individual	: ₹ 5000
Institutional	: ₹ 20000

Contact : 9654325899
E-mail :
massmedia.editor@gmail.com

मीडिया स्टडीज ग्रुप, के प्रकाशन

भाषा का सच
संपादनः सपना चमड़िया/अवनीश
प्रकाशन वर्षः 2014
बाइंडिंगः हार्डबाउंड
पेजः 168
मूल्यः 350 रुपये
ISBN: HB: 978-81-926852-5-0

Embedded Journalism
Editors: Jaspal Singh Sidhu/ Anil Chamadia Publication Year: 2014
Binding : Paperback/Hardbound
Page :240
Price :PB-380/HB-650
ISBN: PB : 978-81-926852-9-8
HB: 978-81-926852-8-1

मीडिया और मुसलमान
संपादनः अनिल चमड़िया
प्रकाशन वर्षः 2014
बाइंडिंगः हार्डबाउंड
पेजः 184 ,मूल्यः 450 रुपये
(छूटः150 रुपये)
ISBN: PB : 978-81-926852-3-6
HB: 978-81-926852-6-7

टीआरपी और पेड न्यूज
संपादनः वरुण शैलेश/संजय कुमार बलौदिया
प्रकाशन वर्षः 2014
बाइंडिंगः पेपरबैक
पेजः 56
मूल्यः 60 रुपये

भारतीय पत्रकारों की स्थिति
संपादनः विजय प्रताप/अवनीश
प्रकाशन वर्षः 2014
बाइंडिंगः पेपरबैक
पेजः 84, मूल्यः 120 रुपये
ISBN: PB : 978-81-926852-2-9

Reporting Conflicts Through
Biased Lenses: Media in India Complied By Media Studies Group
Publication Year: 2015
Binding: Hardbound
Page: 224
Price : 495 (Discount Rs.175)
ISBN: HB: 978-93-84304-06-5

मीडिया की सांप्रदायिकता
संपादनः अनिल चमड़िया
प्रकाशन वर्षः 2014
बाइंडिंगः पेपरबैक
पेजः 186
मूल्यः 250 रुपये
ISBN: 978-81-926852-7-4

भागलपुरः राष्ट्रीय शर्म के 25 साल
लेखकः शरद जायसवाल
प्रकाशन वर्षः 2014
बाइंडिंगः पेपरबैक
पेज–160
मूल्यः 95 रुपये
ISBN: 978-93-84304-07-2

झारखंडः अंधेरे से साक्षात्कार
लेखकः अभिषेक कुमार यादव
प्रकाशन वर्षः 2015
बाइंडिंगः हार्डबाउंड
पेजः 168
मूल्यः185 रुपये
ISBN: HB:978-93-84304-05-8

जनसंख्या की खबर का सच
संपादनः वरुण शैलेश/संजय कुमार बलौदिया
प्रकाशन वर्षः 2016
बाइंडिंगः पेपरबैक/हार्डबाउंड
पेजः 136 ,मूल्यः 125 (PB)/200 (HB)
ISBN: PB: 978-93-84304-08-9
HB: 978-93-84304-09-6

दलित गणतंत्र
संपादन सहयोगः संजय कुमार बलौदिया
प्रकाशन वर्षः 2018
बाइंडिंगः पेपरबैक
पेजः64
मूल्यः50 रुपये
ISBN: PB: 978-81-926852-0-5

दलित नजर में मीडिया
लेखकः अनिल चमड़िया
प्रकाशन वर्षः 2018
बाइंडिंगः पेपरबैक
पेजः132
मूल्यः 125 रुपये
ISBN: PB: 978-93-84304-12-6

भारत का पहला मजदूर अस्पताल
लेखकः पुण्यव्रत गुण
प्रकाशन वर्षः 2019
बाइंडिंगः पेपरबैक
पेजः120
मूल्यः100 रुपये
ISBN: PB: 978-93-84304-14-0

हर्फ ए हक
लेखकः हबीब जालिब
प्रकाशन वर्षः 2019
बाइंडिंगः पेपरबैक
पेजः140
मूल्यः125 रुपये
ISBN: PB: 978-93-84304-15-7

डा. आंबेडकरः एक चिंतन
लेखकः मधु लिमये
प्रकाशन वर्षः 2023
बाइंडिंग झहार्ड बांउड
पृष्ठ– 140(कवर सहित)
मूल्यः280 रुपये
ISBN: 978-93-84304-19-5

फैक्ट्री जापानी-प्रतिरोध हिन्दुस्तानी
(मारुती सुजुकी मज़दूरों का अनंत संघर्ष)
लेखकः अंजली देशपांडे/ नंदिता हक्सर
प्रकाशन वर्ष : 2023
पृष्ठः 284 (कवर सहित)
मूल्यः350 रुपये
ISBN:978-93-84304-17-1

Contribution of Mahadalit in Bihar Economy
Writer: Arun Srivastva
Publication:2021
Page:264(including cover)
Price:350(Paper Back)
ISBN:978-93-84304-16-4

जन मीडिया/ मास मीडिया वार्षिक संग्रह
प्रकाशन वर्षः 2013, 2014, 2015, 2016.2017
बाइंडिंगः हार्डबाउंड
पेजः 384
मूल्यः प्रति वर्ष के अंक. 999 (संस्थागत)
ISSN: 2277-2847 /
ISSN- 2277-2847

सावित्रीबाइ फुले समग्र
मराठी से अनुवाद व संपादन
सुभाष सैनी,प्रोफेसर हिंदी विभाग
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
क्इठः978–93–84304–10–2
मूल्यः 250 रुपये

बाल मुकुंद गुप्तःसृजन और मूल्यांकन
(पत्रकारिता की विरासत)
संपादनः सुभाष सैनी,प्रोफेसर हिंदी विभाग
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय
क्इठः987–93–84304–20–1
मूल्यः 250 रुपये

1. मीडिया स्टडीज ग्रुप के प्रकाशन के लिए चेक/ड्राफ्ट मीडिया स्टडीज ग्रुप (Media Studies Group) के नाम से भेज सकते हैं।
2. भुगतान सीधे मीडिया स्टडीज ग्रुप के खाता संख्या 21360100017400, बैंक ऑफ बड़ौदा, बादली शाखा, दिल्ली, (IFS Code- BARB0TRDBAD) के खाते में कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद हमें मेल या मैसेज के जरिए सूचित कर दें।
3. ऑनलाइन खरीदने के लिए वेबसाइट www.mediastudiesgroup.org.in में Qr code के माध्यम से भुगतान करें।

संपर्क : सी–2 पीपलवाला मुहल्ला, बादली, दिल्ली–110042, E-mail.- msgroup.india@gmail.com
इससे भुगतान कर सकते हैं। vpa : janme98684710@barodampay

SCAN TO PAY
WITH ANY BHIM UPI APP

Merchant Name : JAN MEDIA

Posting Date : 1" week of every month
Page 28+4

JAN MEDIA APRIL 2025
RNI : DELHIN/2012/43100
Postal Regd No. : G/DL (N)/286/2024-2026

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक अनिल चमड़िया द्वारा सी-2, पीपलवाला मोहल्ला, बादली एक्सटेंशन, दिल्ली-42
से प्रकाशित एवं कैपिटल प्रिंटर्स, आर.जेड.-12, मंगोलपुरी खुर्द, दिल्ली-83 से मुद्रित